श्री राजेश कुमार सिंह : इस सरकार के निकम्मे कामों के कारण ही यह संविधान संशोधन विधेयक पारित न हो सका, गिर गया जबकि हम अपोजीशन वालों ने उसको पूरी तरह सपोर्ट किया था। इस पर आप अपनी रूलिंग दीजिए... (व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : इसमें मेरी क्या रूलिंग है।

श्री राजेश कुमार सिंह : मान्यवर, यह कितना बड़ा गैर-जिम्मेदारी का काम इस सरकार ने किया है। सरकार के लोग सदन में उपस्थित नहीं होना चाहते। इस विधेयक को जानबूझ कर गिराया गया है, जानबूझ कर अनुपस्थित रहे क्योंकि इसमें शेड्यूल्ड कास्टस के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान था, इसीलिए इसको जानबूझ कर गिराने की कोशिश की गई है। क्या यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी कि इसको पास करवाया जाए।

श्री राम विलास पासवान : हम लोगों ने तो इसको सपोर्ट किया था, उसके बावजूद भी यह लौस्ट हो गया।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना काम कीजिए।

15.44 hrs.

CONSTITUTION (FORTY-EIGHTH AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRIMATI MOHSINA KIDWAI) : I beg to move :

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration".

MR. SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration".

Mr. Datta.

(Interruptions)

SHRI AMAL DATTA (Diamond Harbour) : Sir, this Bill is welcome to all of us who are in favour of land reforms in the country. Initially, when land reform Acts were passed in all the States, this being a State subject, most of the Acts were struck down by the courts, because they were found to be violating one or the other provisions of the Fundamental Rights Chapter of the Constitution. So, ultimately, this was the device which was adopted, the constitutional device, to give protection to progressive legislation, including the land reform Bills, against the onslaught of people with vested interests This Ninth Schedule was introduced by the constitutional provision of article 31-B. Under this clause, any Act which has been put in the Ninth Schedule cannot be struck down by any court of law on the ground that it is violative of any fundamental rights under Chapter III. Sir, the natural thing which I find very objectionable so far as this particular Bill is concerned is that...

(Interruptions)

Sir, do you want me to continue under this discussion that is going on in the House.

MR. SPEAKER : Please, if you want to discuss among yourselves, kindly go outside. And if you want to participate, sit here quietly

SHRI AMAL DATTA : Sir, they are not used to any kind of discipline.

15.51 hrs.

[SHRI F. H. MOHSIN *in the Chair*]

(Interruption)

MR. CHAIRMAN : Order please.

SHRI AMAL DATTA : Sir, you will find from the Bill that the protection is going to be extended to certain Acts. Now, what are these acts to which the protection of the Ninth Schedule is going to be extended ? I only would like to read a few, not all of them. They are fourteen in number. The first one is the Assam Temporary Settled Area Act 1971. Sir, it is an Act of 1971 to which the protection of the Ninth Schedule is sought to be given in the year 1984. The next one is also an Act of 1974. Then there is an Act of 1975. Then again there is an Act of 1976. Now, we come to Land Reforms Bills. There is this Bihar Land Reforms Bill of 1975, Bihar Land Reforms Bill of 1975 and Bihar Surplus Land Bill of 1978. Now, from West Bengal also there are two Bills of 1978 and 1980. The question which naturally arises is why has the Government suddenly become anxious to give protection to these Acts which have been passed long ago and if they are concerned to give protection then why did not they come along with such a Constitutional Amendment Bill long ago ? These Bills, particularly the last of them, which they want to protect was passed in 1980. There is no Bill after 1980, which is being given protection to by this Constitutional Amendment Bill. So, what were they doing since 1980 ? Were they sleeping ? Is this the purpose of seeing that the people with vested interests do not go for an onslaught on the rights of the havenots for whose benefit the State Assemblies have passed these Bills. After passing the Bill they have requested the Central Government to pass these Bills into Acts and include them in the Ninth Schedule. But, Sir, what is the reason for this delay ? That has not been explained here. Although we are willing to give the Government all support here and there is no reason why we should not give our support, yet they have not stated, firstly, what is the reason for the delay, and secondly, how many more Bills are there for which the State Government has asked for such inclusion in the Ninth Schedule which they have not brought here ? I know for a fact that the West Bengal Legislative Assembly has passed two Acts regarding the land reforms as early as 1979 and 1980, which are still lying here for the President's assent. That shows the index of the concern of the Government for the Bills of this nature that they will not give consent to Bills passed for land reforms for such a long time. And In this context I am quoting the Sixth Plan document. The 6th Plan contains an assurance that necessary action would be taken by Parliament for the Land Reforms Act not yet included in the Ninth Schedule of the Constitution. Sir, the Sixth Plan document was published before 1981 and in it this assurance was given. So, immediate action is being taken by bringing it in Parliament now in the year 1984. So, will the hon. Minister be able to tell us how many litigations have been started under these laws and whether certain Acts passed or done by the State Governments under these laws have already been struck down by the courts ? Has the Minister got any information to that effect ? I would like to know. While we are extending support to all kinds of Bills—as you have just seen the spectacle, probably you were not present here, I do not know, Sir, but the Government could not muster strength to get a Constitution (Amendment) Bill passed. This is the indication of their concern. The last one was about giving reservation for Parliament and Assembly seats for some States in the Eastern region. They are weak people, thep have to be given this reservation, but the Ruling Party could not muster the strength. Here again I am afraid the Ruling Party is guilty of serious lapses in bringing before Parliament all these Bills for which assurance was given even as early as 1981 when the Sixth Plan Document was published and the latest of the Bills which is included here, as you will find, is the West Bengal Bill of 1980 and the first one is the 1971 Bill. So what kind of protection has been given—protection after 15 years, in 1971 and 1984 ? Is that the concern the Government has for land reforms and other kinds of progressive legislation ?

We are supporting this Bill, but at the same time we want to take the Government to task for this delay and also for

not giving assent to progressive Bills whieh have been passed by various Legislative Assemblies incuding the West Bengal Assembly and not including them in the Ninth Schedule and in this Constitution (Amendment) Bill. Two Bills are lying with the President and they should have been given assent to and the should have been included in this Amending Bill and on why that has not been done, let the Government explaiu.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, संविधान (48 वां संशोधन) विधेयक, 1983 जो सदन में प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं समर्थन करता हूं। भूमि सुधार के बारे में जो भी कदम राज्यों द्वारा उठाये गये हैं, उनका वैस्टेड इंटरेस्ट्स ने हमेशा विरोध किया है। मैं जब विधान-सभा का सदस्य था तब भी लैंड रिफार्म्स और सीलिंग के बारे में डिस्कशन होता था, जो वैस्टेड इंटरेस्ट है, जमींदार, लैंडलार्ड्स, उन्होंने बिल का हमेशा विरोध किया और जितने भी प्रगतिशील कानून बनने चाहिये थे, हम नहीं बना सके।

जब इस प्रकार का बिल सिलेक्ट कमेटी में भी गया तो वहां भी स्थिति यह हुई कि हमें इस प्रकार के निर्णय लेने पड़े कि लैंड रिफार्म में वास्तविक रूप में जो प्रगति होनी चाहिये थी, और जो हम बनाना चाहते थे, वह नहीं बना सके। कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 31-बी में जो प्रावीजन किया गया है वह वास्तव में गरीब किसानों की प्रोटेक्शन के लिए कानून बना है। जो कानून टेनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत बने हैं, उनका हमेशा कोर्ट में विरोध कियागया है और कोर्ट बहुत टाइम लेती हैं। उस का तरीका यही है कि यह जो प्रगतिशील कानून हैं, टेनेन्सी और लैंड रिफार्म के कानून हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिये नवें शिड्यूल में लाने का महत्वपूर्ण जरिया है और इसको हमें जल्द से जल्द प्रयोग करना चाहिये था।

हम आखिर में महसूस करते हैं कि जो कामरेड ने विचार प्रगट किये थे, उनसे मैं सहमत हूं कि वास्तव में जो इस प्रकार के कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैं, इन्हें हमें जल्दी लाना चाहिये था। जितने भी टेनेन्सीज के लाज हैं, लैंड रिफार्म के लाज हैं, 1980 से पहले के हैं, हमको उन्हें 1981-82 में अवश्य ही लाना चाहिये था।

16.00 hrs.

ऐसा न करने से उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और जिन लोगों के लाभ के लिए वे कानून बनाए गये थे, उनको लाभ नहीं पहुंचा। अगर हमारे प्रगतिशील कानूनों का लाभ किसानों, गरीब आदमियों और स्माल तथा मार्जिनल फार्मर्ज को नहीं मिलता है, तो फिर उन कानूनों को बनाने का क्या उद्देश्य है? यह जरूरी है कि टिनेंसी और लैंड रिफार्म्ज के और भी जितने कानून हैं, उन सबको जल्दी से जल्दी नवें शिड्यूल में डाला जाए।

लैंड रिफार्म्ज के जो कानून स्टेट्स में बने हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से नहीं हुआ है। फर्स्ट फाइव यीअर प्लान से लेकर सिक्स्थ फाइव यीअर प्लान तक लैंड रिफार्म्ज के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है, लेकिन अभी तक उनको क्रियान्वित नहीं किया गया है। भूमिहीनों को भूमि एलाट की गई है, लेकिन अभी तक उन्हें कब्जा नहीं दिया गया है।

16.02 hrs.

[SHRI R. S. SPARROW *in the Chair*]

मैं चाहता हूं कि क्लेक्टर्ज को इंस्ट्रक्शंज दे

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

कर, पुलिस की फोर्स से, कानून को शक्ति से उन लोगों को भूमि का कब्जा दिलाया जाए। अगर भूमि की एलाटमेंट करने के बाद उन लोगों को कब्जा नहीं मिलता है, तो लैंड रिफार्म्ज का परपज ही डिफीट हो जाता है।

यह भी देखा गया है कि जो सबसे खराब जमीन हैं, जो अनइकानोमिक होल्डिग है, वह भूमिहीन किसानों को दी गई है, जिससे उनकी इकानोमिक कंडीशन में कोई सुधार नहीं हो पाया है। आवश्यकता इस बात की है कि स्टेट्स लैंड रिफार्म्ज की तरफ अधिक ध्यान दें और यदि आवश्यक हो, तो इसके लिए प्रगतिशील कानून बनाएं। भूमिहीनों और जिन शिड्यूल्ड कास्ट्स तथा शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों के पास जमीन नहीं है, उनको जमीन दी जाए, ताकि उन की आर्थिक स्थिति में सुधार हो और प्राडक्शन बढ़ सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल के द्वारा लैंड रिफार्म्ज के कानूनों को नवें शिड्यूल्ड में रखा जा रहा है, लेकिन तथ्य यह है कि लैंड रिफार्म्ज और सीलिंग के कानूनों से अभी लैंडलेस लोगों को सही मानों में कोई फायदा नहीं हुआ है। हमारा सामाजिक ढांचा इस प्रकार का है कि लैंड रिफार्म्ज के कानून तो बनते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता है। लैंडलेस लोगों का सरप्लस लैंड देने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन उसमें भी अनियमितता बरती जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि कानून में उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि लैंड रिफार्म्ज के जितने कानून हैं उन सब पर मेल-ओरियेंटिड मिताक्षरा स्कूल का प्रभाव है। उसके अनुसार आदमी के मरने के बाद उसकी जमीन पर न तो उसकी पत्नी और न बड़ी बेटी का कोई हक होता है। हम समानता की बात करते हैं, लेकिन लैंड रिफार्म्ज, सीलिंग और उत्तराधिकार आदि से सम्बन्धित कानूनों में महिलाओं की उपेक्षा की गई है। मेरा सरकार से कहना है कि इस पर भी विचार किया जाना चाहिए और कोई कामन लैंड रिफार्म्स का कानून आता है तो उसमें महिला को भी चाहे लड़की हो, चाहे वाइफ हो, उसको भी कुछ हक मिलना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने सोच लिया है कि हमारी महिलाएं ऐग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसी बात नहीं हैं। गांवों में बहुत से समाजो की महिलाएं खेती में बहुत अधिक काम करती हैं। इसलिए उन्हें भी वह अधिकार मिलना चाहिए।

इतनी बात कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा : (पाली): सभापति महोदय, यह कानून तो लम्बे अरसे से बन रहा है। सिक्स्थ फाइव ईयर प्लान के अंदर हमारे चव्हाण साहब ने यह भाषण दिया था :

> "The States which do not have the implementation of various elements of policy may specifically

follow in the Sixth Five Year Plan. The programme of taking possessions and distribution of surplus land would be completed within period of two years."

That is by, 1982-83.

छठी योजना में यह कह दिया गया था कि 82-83 तक सारी जमीन जो सरप्लस है वह ले ली जायगी। लेकिन जब मैंने हाउस के अंदर सवाल पूछा तो उन्होंने बताया कि इतनी जमीन तो ली नहीं गई और इतनी जमीन अभी कोर्ट केसेज में पेंडिंग है। यह जवाब 24 मार्च 1983 को दिया गया था और यह बताया गया था कि 11 लाख 86 हजार 667 एकड़ जमीन के केसेज अभी तक कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है।...... (व्यवधान) यह 11 लाख एकड़ जमीन जो अभी भी है वह बड़े-बड़े लोगों के पास है। इसलिए हम नाइंथ शेड्यूल की बात करते हैं। एक और बात है कि कानून बनाना अलग बात है। कानून तो एक मकड़ी का जाला है जिसमें गरीब फंसता है और धनवान छूट जाता है। कानून बना दिया जाता है। इस कानून को सब स्टेट्स ने अलग-अलग तारीखों में लागू किया। आंध्र ने 1973 में लागू कर दिया, आसाम ने 1975 में लागू किया, बिहार ने 1973 में लागू किया और हरियाणा ने 1972 में लागू कर दिया। सब स्टेट्स ने इस ऐक्ट को लागू कर दिया कि लैंड सीलिंग रिफार्म्स होने चाहिए। लेकिन उसका रिजल्ट आप पढ़ें तो पाएंगे कि आज देश के अंदर जो आर्थिक विषमता है और गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनके पास कितनी-कितनी जमीन है।

According to statistics of 1971 Agricultural Census, marginal farmers with holdings of np to one acre and small farmers with holding between one and two acres together accounting for about 75% of the rural households, owned by about 20% of the land.

सारी जमीन का 20 प्रतिशत भाग भी गरीबों के पास नहीं है। यह आपका आंकड़ा बतलाता है। तो गरीबों के पास जमीन कुछ भी नहीं है। सारी की सारी जमीन कुछ लोगों के पास है और चन्द लोग अभी भी उस पर काबिज बने हुए हैं। राजस्थान राजाओं की भूमि है और राजा लोग वहां राज करते थे। 24 रियासतें थीं, छोटे-छोटे जागीरदार थे, जिनके पास कानून के खिलाफ हजारों बीघा जमीन है, सैंकड़ों बीघा इर्रिगेटेड जमीन है और कानून गरीबों की मदद नहीं कर रहा है और वे लोग उस का आनन्द ले रहे हैं। सारे जागीरदार लोग जो सामन्ती तत्व थे उन्होंने जमीन अपनी ताकत के बल पर दबा रखी है।

देश में हम लैंड रिफार्म लागू करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी जमीन गरीबों के पास नहीं है। जो कानून आप लाये हैं, उसके लिए आपको बधाई। आप तो कहते हैं कि मैं कानून की किताबें रख लेता हूं कि 9वें शिड्यूल में कानून चेलेंज नहीं किये जायेंगे, लेकिन कानून का क्या होगा जब तक कि हमारी दृढ़ इच्छा और पूरा इरादा नहीं होगा? हम जमीन ले नहीं सकेंगे। यह गरीबों का सवाल है, इस बात को गंभीरता से लेना चाहिये।

हर आदमी कहता है कि लैंड रिफार्म होना चाहिये, लेकिन जब कानून स्टेट्यूट बुक में रह जायेंगे तो उससे लाभ नहीं होगा। आज जमीन किन के पास है? जो व्हाइट कलर्ड पर्सन्स हैं, जो कभी खेती नहीं करते

[श्री मूल चन्द डागा]

हैं, एब्सैंटी लैंडलार्डज हैं, यहां भी कई लोग बैठे हैं, जो कभी खेती के हाथ नहीं लगाते, जमीन आज भी उनके पास है। इस कानून में बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिये कि जमीन उसकी जो जोते खेती उसकी जो खेती बोये। लेकिन आज जमीन उनके पास है जो जमीन बोते नहीं आराम से खाते हैं।

आप जो कानून लाये हैं, मैं इसकी बहुत तारीफ करता हूं कि 9 वें शिड्यूल में ले जायें ताकि चेलेंज न हो, लेकिन आपका कानून केवल कागजों में है। जो 9वें शिड्यूल में इसे ला रहे है यह तो कभी का ले लेना चाहिये था। आज आप इसे 1984 में ला रहे हैं।

आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेज पैंडिंग हैं हमारे ला मिनिस्टर कहते हैं कि इसको नाइंथ शिड्यूल में ले लेंगे, लेकिन लेने के बाद क्या होगा? जिन लोगों ने कब्जा कर लिया है, कब्जे पुराने हो गये हैं, जमीन ट्रांसफर कर दी है और वह जमीन उनके पास चली गई है उनका क्या होगा? कानून बनाने से ही संतोष नहीं होना चाहिये अगर कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो उससे लाभ नहीं होगा।

कानून के आस्पैक्ट का मैं समर्थन करता हूं लेकिन इसके साथ-साथ हमारी सरकार का पूरा मजबूत इरादा होना चाहिये कि हम लैंड रिफार्म को रि-एग्जामिन करें और जो जमीन जोतते हैं, उनको जमीन दी जाये। जो जमीन पर एब्सैंटीज लैंडलार्डज हैं, उन से जमीन छीन ली जाये और सख्त कानून बनाया जाये।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर): सभापति महोदय, कोई भी समझदार आदमी जो भारत की प्रगति से अभिरुचि रखता है, इस बिल का समर्थन करेगा और मैं भी समर्थन करता हूं।

मैं अपने पूर्व-वक्ताओं के इस कथन से बिल्कुल सहमत हूं कि इस विधेयक को बहुत पहले लाया जाना चाहिये था। मैं अपने राज्य में देख चुका हूं, आपको आश्चर्य होगा कि आज के युग में भी एक-एक परिवार के पास 18-18 हजार एकड़ जमीन है। जिस देश में भूमिहीन मजदूर हैं, उनको बसने के लिए, घर बनाने के लिये जमीन नहीं है, वहां एक-एक परिवार के पास 18-18 हजार एकड़ जमीन है।

जहाँ तक मुझे याद है, कुरसेला में अभी भी एक व्यक्ति के पास 18 हजार एकड़ जमीन है, गया के महन्त के पास 6 हजार एकड से अधिक जमीन है जिसमें बेनामी और नामी दोनों हैं। वहां संघर्ष हुआ, पर पता नहीं कानून का झुकाव किस तरह में होता है कि कोई भी सफल नहीं हो पाता है।

जो लोग सरकार में जाते हैं, वे सद्-इच्छा से कानून बनाते है परन्तु यह किस प्रकार की सद्-इच्छा है कि जब से बिहार में जमींदारी उन्मूलन हुआ, भूमिसुधार के तरह-तरह के कानून बने लेकिन आज भी भूमि-सुधार के नाम पर कुछ परिवारों के हाथ में अधिक से अधिक कृषि योग्य भूमि केन्द्रित है। इस स्थिति में देश का विकास किस तरह होगा? हमारे देश में कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोफेशन है। देश के अधिकांश लोग खेती पर निर्भर करते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर जमीन का इतना बड़ा हिस्सा कुछ परिवारों के हाथ में केन्द्रित हो, तो बाकी लोगों के पास कितनी जमीन होगी

मैं समझता हूं कि 5 प्रतिशत लोगों के हाथ में 75 प्रतिशत कृषि-योग्य भूमि केन्द्रित है। भूमि-सुधार के इतने कानूनों का यह नतीजा निकला। मुझे संतोष है कि कुछ खास-खास कानूनों को 9 वें शिड्यूल में डाला गया है, परन्तु भूमि-सुधार के और कानूनों का क्या होगा, जो भविष्य में देश की प्रगति और कृषि की उन्नति के लिए बनेंगे? वे तो 9वें शिड्यूल में नहीं डाले जा सकेंगे। उसके लिए संविधान का फिर संशोधन करना होगा। आपने कुछ समय पहले देखा कि सरकार ने कितनी ही सदेच्छा से संविधान संशोधन करना चाहा, मगर उसमें कितने सदस्यों की अभिरूचि रही। विरोध पक्ष के समर्थन के बावजूद वह संविधान-संशोधन सदन में गिर गया।

इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार ऐसा संशोधन करे कि भविष्य में भूमि-सुधार के जितने भी कानून बनें, वे स्वतः 9वें शिड्यूल में शामिल हो जाएं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार खंड-खंड करके संविधान का संशोधन करके कुछ कानूनों को 9वीं अनुसूची के अन्तर्गत लाना एक अच्छे काम को बुरे या गलत ढंग से करने का प्रयास है। आज स्थिति यह है कि राज्यों में जो कानून बनते हैं, एक तो उन्हें राज्यपाल की स्वीकृति मिलने में देर लग जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि जिस समय कानून को लागू करने की आवश्यकता होती है उस समय वह लागू नहीं हो पाता है। मुझे याद है कि बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून पास हुआ। उसके निर्माताओं का उद्देश्य अच्छा था, लेकिन जब वह लागू हुआ, उससे पहले ही सारी की सारी जमीन ऊंची कीमत लेकर रैयतों के नाम कर दी गई थी और सारे पेड़ काट कर बेच दिए गए थे। इस तरह जमींदारी उन्मूलन का कोई फायदा नहीं हुआ। सदेच्छा के बावजूद लागू करने में विलम्ब करने से कानून की सारी उपयोगिता समाप्त हो जाती है।

इसलिए मेरा आग्रह है मंत्री महोदय से कि इस विधेयक को तो मैं तहेदिल से समर्थन देता ही हूं लेकिन आगे से मेरा यह अनुरोध है कि आप ऐसा संशोधन लाएं कि भूमि सुधार सम्बन्धी जितने भी कानून बने वह स्वतः नवें शेड्यूल में चले जायं। मुझे याद है कि जनता प्रशासन में बिहार की जो हालत थी उसको देख करके बिहार की सरकार ने भी इसके लिए केन्द्र से अनुरोध किया था। लेकिन दुर्भाग्य से वह सरकार अल्प समय तक ही रह सकी, इसलिए यह हो नहीं पाया। मैं उम्मीद करता था कि हमारी प्रधान मंत्री जिन्होंने कभी दावा किया था कि किसानों के पसीने की जगह वह खून भी देने के लिए तैयार हैं, तो वह इस प्रकार के किसानों के हित के कानून बहुत पहले लाएंगी लेकिन अब इस संसद के पांच साल के टर्म के आखिरी सत्र में यह कानून लाया जा रहा है। मुझे तो थोड़ी देर पहले की घटना को देखकर भारी सन्देह हो रहा है कि कहीं इसका भी वही हाल न हो जाय जो संविधान संशोधन विधेयक का हुआ, वह जिस तरह से गिर गया, कहीं उसी प्रकार से यह भी न गिर जाय। इसलिए मैं संसदीय कार्य मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि किसी प्रकार से यह संशोधन असफल न हो जाये, इस चीज को वह देखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : सभापति महोदय, यह भूमि सुधार संशोधन जो लाया

[श्री केयूर भूषण]

गया है इसका तो भारत का प्रत्येक किसान और मजदूर, भूमिहीन खेतिहर मजदूर सबके सब इसका समर्थन कर रहे हैं। यहां भी हम इसके विपरीत किसी भी सदस्य को नहीं पाएंगे। इसलिए उनकी आवाज हम सब यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। मगर साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि भूमि सुधार पहले भी हुए लेकिन उसका परिणाम सबसे अन्तिम व्यक्ति के लिए बहुत ही कम हो पाया है। साथ-साथ भूमिवान जो हैं, जमींदार और सामंत जो हैं उनकी अवस्था में भी कोई विशेष अंतर नहीं आया है। उन्हें कमजोर करके उनसे जमीन लेने में हम सफल नहीं हो पाए हैं। उस तरफ भी हमारा ध्यान जाना आवश्यक है। अभी भी जो भूमि है ऐसे लोगों के पास जो कानून को धोखा दे करके और बचा करके रखी गई है उसको किस तरीके से निकाल सके, उस तरफ विशेष ध्यान देना होगा।

देश के किसी भी कोने में हम जाते हैं यही पाते हैं कि अभी भी वही भूमि के मालिक बैठे हुए हैं जो सीलिंग कानून को बेमहत्व करके अधिक जमीन अपने पास रखे हुए हैं। जैसे पूर्व वक्ता ने बताया हजारों एकड़ जमीन उनके पास है। सीलिंग कानून का कोई भी लाभ हमें या समाज को नहीं मिल पाया है। आज भी वह स्थिति ज्यों की त्यों है। तो आज इस कानून के अन्तर्गत हमें फिर से चाहिए कि इस ओर ध्यान दें। आज की स्थिति में बहुत कुछ भूमि सुधार जो हुआ है उस आधार पर सीलिंग पर फिर से विचार करें। बेनामी जमीन जिनके पास है उन सबसे उसे निकालने को विशेष प्रयत्न होना चाहिए।

जमीन को बचाने के अनेक तरीके अपनाए गए हैं और मैं मुख्य रूप से यह बताना चाहता हूं कि धर्म के नाम पर हर मजहब के लोग ज्यादा से ज्यादा जमीन अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखे हुए हैं। हजारों लाखों एकड़ जमीन इन नये सामंतों के पास बनी रह गई है। जितने भी मंदिर या मठ आप देखेंगे उन मठों के पास लाखों एकड़ जमीन है। चाहे बौद्धों का मठ हो, या मंदिर हो—देखने में तो ऐसा आया है कि जो जमीनें किसानों के पास होनी चाहिए थी वह उनके पास हैं। अभी-अभी मैं गुरुद्वारा देखकर आया हूं, लाखों करोड़ों की सम्पत्ति उनके पास है। यदि इस प्रकार से धर्म के नाम पर शोषण का तरीका ज्यों का त्यों कायम रहा तो इस प्रकार का कानून बनाने के पीछे जो हमारी मंशा है उसके अनुसार सबसे नीचे के आदमी को हम भूमि कैसे दे पायेंगे ? तो मेरा निवेदन है कि कानून बनाने के साथ-साथ इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये। आज हर आदमी महसूस करता है कि धर्म के नाम पर एकत्र की हुई पूंजी को यदि समाज के उपयोग में लाना है तो यह आवश्यक है कि जितनी भी इस प्रकार की भूमि धार्मिक संस्थानों के पास है, उसको भी इस बिल के अन्तर्गत लाया जाए ताकि उसको भूमिहीनों में बांटा जा सके।

इसके साथ-साथ हमें इस आधार पर भी देखना होगा कि आज किसी के पास जो भूमि है, जो बेनामी भूमि है, उसमें किसान कौन है ? ऐसा तो नहीं है कि दूसरे लोग हल जोतते हैं और लाभ वह वर्ग उठा रहा है। वास्तव में किसान वही है जोकि हल चलाता है। जो पढ़े-लिखे लोग हैं, नौकरी करने वाले या व्यापार करने वाले, वे किसान हरगिज नहीं हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति

अपने हाथ से हल जोतता है उसको ही कानून का लाभ मिलना चाहिए ।

यदि आज आप वास्तव में भूमिहीन को भूमि देना चाहते हैं तो भूमि की जो मिल्कियत है उसका विसर्जन होना चाहिए। आज ग्राम सभायें एवं ग्राम पंचायतें बनी हुई हैं, उनके नाम पर ही जमीन होनी चाहिए, किसी व्यक्ति के नाम से नहीं होनी चाहिए । इस प्रकार से भूमिहीनों को उन की आवश्यकता के मुताबिक जमीन देने की व्यवस्था होनी चाहिए । जो छोटे किसान हैं, जो अपने हाथ से हल जोतते हैं उनके पास भूमि रहनी चाहिए लेकिन जो सर्विस करते हैं या व्यापार करते हैं उनके पास से यदि जमीन ग्राम सभा के पास जायेगी तो आवश्यकता के मुताबिक वह भूमिहीनों को मिल सकेगी ।

भूमि विसर्जन कर साथ-साथ कुछ दूसरे मुद्दे भी हैं जिनकी तरफ ध्यान जाना बहुत आवश्यक है विकास कार्यों के लिए किसान की भूमि बेमोल कीमत पर ले ली जाती है । हमारे क्षेत्र में एक कारखाना खोला गया जिसका लाभ तो पूरे क्षेत्र को मिला लेकिन सबसे अधिक पीड़ित वे हुए हैं जिनकी भूमि उसके लिए ले ली गई थी । इसी प्रकार से बांध बना दिया जाता है जिससे नीचे वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचता है जिनकी जमीनें उस बांध में डूब जाती हैं उनको क्या मिलता है ? आप सड़क बनाने के लिए किसान की जमीन ले लेते हैं लेकिन उस किसान की क्या स्थिति होती है ? इसलिए मेरा निवेदन है कि जब आप किसान को उसकी भूमि का मूल्य दें तो बढ़ाकर दें ताकि विकास का लाभ कुछ उसको भी मिल सके ।

तीसरा निवेदन यह है कि आज बहुत सी जमीन जंगलों के विकास के नाम पर आदिवासियों से छीनी जा रही है। हम चाहते हैं कि जंगलों का विकास हो, लेकिन किसान की कीमत पर न हो । जहां-जहां जंगल लगे हुए हैं और ऐसी जमीन है जो वर्षों से बे-आबाद रही है, जहां लकड़ी नहीं है, उजाड़ है, अगर उसमें किसान आबाद हो गया है तो उसको जंगल के विकास के नाम पर उठाया जा रहा है । जहां ऐसी स्थिति है कि जंगलों के आसपास किसान को बसाया गया है या वह खुद बस गया है उसको वहां से उठाया न जाय, उन्हें फिर से वहां पर बसाने का प्रयत्न होना चाहिये । इसके साथ ही किसान को उस जमीन की मिलकियत दी जाय आसपास के जंगलों के संरक्षण की व्यवस्था उनके हाथ में दें तो जंगलों की चोरी रुकेगी और उस जमीन से वे अपना विकास कर सकेंगे, साथ ही जंगलों की रक्षा भी करेंगे ।

आप इस कानून के द्वारा छोटे किसानों को, भूमिहीन किसानों को संरक्षण देना चाहते हैं, यह बहुत अच्छी विचार धारा है, लेकिन इसके साथ ही यह प्रयास भी किया जाना चाहिये कि जहां-जहां जमीन की चोरी हुई है, उसको निकालिये और इन लोगों को दीजिये । आज बहुत जगह ऐसी स्थिति है कि जमीन दी गई है लेकिन उन पर उनका कब्जा नहीं हुआ है । बहुत सी जगहों पर चरागाहों से जमीन निकाल कर दी है । मैं चाहता हूं कि किसान को जमीन के साथ सुविधा भी दीजिये । आज जमींदार लोग उनको अपनी तरफ से रुपया देकर ब्याज और मुनाफाखोरी करके उसकी जमीन को वापस ले लेते हैं । अगर इन लोगों के चंगुल से किसान को बचाना है तो उसको थोड़ी सुविधा देनी होगी । मेरा अनुरोध है कि

[श्री केयूर भूषण]
ऐसी सब जमीन ग्राम-सभा के अन्तर्गत आये और जमीन का मालिक वह हो जो खुद हल चलाने वाला हो। उसको जमीने की मिलकियत का विसर्जन करें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : सभापति महोदय, जहां तक इस संविधान संशोधन का सवाल है, मैं इसका समर्थन करता हूं। इस प्रकार के जो संशोधन लेकर हम आ रहे हैं उनका सीधा मकसद यह है कि जो कुछ कानून के द्वारा हम किसान को देना चाहते, हैं, जो गरीब हैं, जिनका स्तर बहुत नीचा है, जिनके पास भूमि नहीं है, धंधा नहीं है, यदि उनको कुछ दिया जाता है, तो वह सुरक्षित रहे। कानून की आड़ में या फंडमेंटल राइट्स के आधार पर अदालतों की शरण लेकर उनके वे अधिकार छीन न लिये जांय, इस दृष्टिकोण से आप इस संशोधन को लेकर आये हैं। इसलिये जहां तक आपकी मंशा का सवाल है मैं इस का समर्थन करता हूं। लेकिन, सभापति जी सीलिंग लॉ के बारे में यहां हर स्तर पर चर्चा हुई है कि सीलिंग कितना रहे, किसान को उसका पेट भरने के लिये कितनी जमीन छोड़ी जाय, परन्तु किसी भी स्टेज पर उस कंसेप्ट को स्वीकार नहीं किया गया कि "लैंड टू दि टिलर", जो हल जोते उसी के पास जमीन रहे और इस सीमा तक रहे—अभी तक इस कांस्पेट को स्वीकार नहीं किया गया। अलग-अलग राज्यों में इस पर अलग-अलग तरह से विचार किया गया, कहीं पर 30 स्टैण्डर्ड एकड़ रखा गया, कहीं पर सींचित और असिंचित जमीन के आधार पर सीमा को छोड़ा गया। मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि आज इस देश में जो हरित क्रांति आई है, वह किसके द्वारा लाई गई है। क्या उसका लाभ व्यक्ति को मिला है। आज हम गेहूं और चावल के मामले में आगे बढ़ रहे हैं। क्या हमारे द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ भूमिहीन किसान को मिला है। या जिसके पास 5 बीघा जमीन है, उसको कोई लाभ मिल रहा है। सभापति महोदय, सारी सुविधाओं का लाभ उसी को मिला है जिसके पास सीलिंग की सीमा से कहीं अधिक जमीन है। यह जमीन उसने चाहे किसी भी तरह से बचा कर रखी हो। चाहे कानून से बचाकर रखी हो या सरकारी अधिकारियों से मिलकर बचा कर रखी हो। आज उसी को सारा लाभ हो रहा है। आज आप देखिए कि ट्रैक्टर कितने बिक रहे हैं। क्या सीलिंग की सीमा के अंदर जमीन रखने वाला किसान ट्रैक्टर का खर्च बर्दाश्त कर सकता है? वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह साबित करता है कि जिसके पास ट्रैक्टर है, उसके पास सीलिंग की सीमा से ज्यादा जमीन है। इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाना चाहिये। जिससे किसान अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके और अपने परिवार का पालन-पोषण ठीक तरह से कर सके। जिससे वह समाज में खड़ा हो कर कह सके कि मैं किसान हूं। सिर्फ नारों के आधार पर हम इस देश में क्रांति नहीं ला सकते। किसान को अधिकार होना चाहिए कि वह गांव के अंदर जमीन से जुड़ कर जीवित रहे। संपन्न हो सके। क्या ऐसा किसान जिसके पास सीलिंग की सीमा के अंदर जमीन है, वह कभी सरपंच का चुनाव लड़ने का सपना देख सकता है। क्या वह कभी जिला प्रमुख या एम० एल० ए० या एम० पी० बनने का स्वप्न देख सकता है। सोच भी नहीं सकता।

श्री नवल किशोर शर्मा : ऐसे लोग भी हैं ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : नवल किशोर जी नारे देना अलग बात है । नारे हम भी देते हैं । लेकिन कभी इन बातों पर विचार भी करिए ।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं फैक्चुअल बात करता हूं ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आज इस आधार पर विचार करिए । आज गांव का आदमी बोल नहीं सकता । गांव का आदमी संगठित नहीं है । गांव का आदमी आवाज ऊंची करके विद्रोह नहीं कर सकता । मैं पूछना चाहता हूं कि गांव में जिस तरह से भूमि पर सीमा लगाई गई है, उसी तरह से शहरों में सीमा क्यों नहीं लगाई गई । शहरों में संपत्ति बढ़ती चली जा रही है । अभी जैसा कि डागा जी ने कहा उसी आधार पर मैं भी जानना चाहता हूं कि गांवों में जितनी सीमा सीलिंग की निर्धारित की गई है, क्या यह सच नहीं हैं कि जितने भी प्रभावी लोग हैं, शिक्षित लोग हैं उन्होंने येन-केन-प्रकारेण, होने वाले वेटों के नाम से, या किसी भी प्रकार से स्टेटमैंट देकर के अपनी जमीनों को बचा लिया है । आज उनकी जमीन सीलिंग से बची हुई हैं । सीलिंग की पकड़ में वे ही लोग आए हैं, वे ही दौड़ते फिरते हैं, जो कानून नहीं जानते, जो अनपढ़ हैं । अंत में केवल यही कहना चाहूंगा कि कानून और संशोधन बनाना आसान है। लेकिन जो कुछ हम देश के अंदर ईमानदारी से चाहते हैं, वह तभी सफल हो सकता है, जब हमारी नीयत साफ हो । यही मैं कहना चाहता हूं ।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, मैं, 48वें कांस्टीच्युशन अमेंडमेंट बिल जो सामने है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह बात सही है कि जो हमें सीलिंग से अथवा ग्राम-सभाओं से भूमि मिली थी, अब तक का जो रिकार्ड है उसके मुताबिक जितनी मिलनी चाहिये थी, वह नहीं मिली । जो मिली भी है, उसका पचास प्रतिशत ही हम भूमिहीनों में वितरित कर पाए हैं । आज; 37 वर्ष हो गए हैं । इसमें कोई शक नहीं कि हमारी सरकार ने विभिन्न अवसरों पर भूमि सुधार के कार्य चाहे केन्द्र या प्रदेशों के हाथ में रहे हों, वह किए हैं । हमने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और सीलिंग एक्ट लागू किया । इसके बाद भूमिहीन किसानों और खेतीहर मजदूर को भूमि वितरित करने की बात की गई । यह बात सही हैं कि भूमि सुधार के सम्बन्ध में हमने जो अन्दाजा लगाया था और जो उससे लाभ होता, वह हमको नहीं मिल सका । देश के जो करोड़ों लोग आशान्वित थे कि भूमि सुधार के कानून लागू हो जाने के बाद भूमि प्राप्त होगी, उनकी आशाएं पूरी नहीं हुई । अब आप कांस्टीच्युशन अमेंडमैंट बिल लाए हैं । इसमें कुछ राज्यों के ही कानून हैं जिनको नाइथ शेड्यूल के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया है । बिहार के लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट का मतलब क्या है ? कलैक्टर जो चाहे निर्धारित कर दे, उसके बाद वह किसान कोर्ट में नहीं जा सकता । इसको नाइन्थ शेड्यूल में लाने का मतलब यह होगा कि किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । मेरी मांग है कि बिहार लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट को इसमें से निकाल दें । इसमें यह प्रावधान होना चाहिए कि देश के जितने राज्य है और जितने लैण्ड रिफार्म्स के कानून हैं, चाहे उन्होंने मांग की है या नहीं लेकिन हमारी मांग है कि इन

[श्री राम प्यारे पनिका]

सबको उसमें इंक्युयड कर ले। इसमें वही कानून शामिल किए हैं जिनके लिए राज्यों ने निवेदन किया है। अगर राज्यों ने भूमि सुधार का कार्यक्रम किया होता तो आज यह नाइंथ शेड्यूल में लाने की समस्या खड़ी नहीं होती। माननीय प्रधान मंत्री जी के बीस सूत्री कार्यक्रम में से एक सूत्र भूमि सुधार का भी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि गरीबों को भूमि कैसे मिले। छठी पंचवर्षीय योजना के पहले ही राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे भूमि सुधार का कार्यक्रम पूरा कर लेंगे। मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़े प्रयास के बाद एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मिर्जापुर में आदिवासियों और हरिजनों की जमीन के संबंध में स्थापित की थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट भी दी थी। लेकिन वह रिपोर्ट लागू नहीं हुई। कुछ संस्थाओं को और मुझे भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर आदेश लेने पड़े कि उन लोगों को उन आदिवासी हरिजनों को उन जमीनों से न हटाया जाए, जिन जमीनों पर उनका फिजिकल कब्जा है, पजेस्शन है, तब जाकर कहीं थोड़ी सी राहत उन्हें मिली।

मान्यवर यदि आप कभी आंध्र प्रदेश की ओर जायें तो वहां भद्राचलम जिले में टेनैन्सी कानून लागू हो गया है। अब वहां कोई दूसरा आदमी जाकर जमीन नहीं खरीद सकता। लेकिन उन इलाकों में जो ट्राइबल एरियाज हैं, वैसे यहां पर नागालैंड और मिजोरम के संबंध में काफी चर्चा हो चुकी है, मैं उसको फिर से यहां रिपीट नहीं करना चाहता, बल्कि एम० पी०, उड़ीसा, बिहार आदि राज्यों के बारे में बताना चाहता हूं कि जहां आदिवासी हरिजन लोगों को जो पहले से अधिकार मिले हुए थे, अब उनको छीना जा रहा है। उनको जमीनों पर उन के कंसेशन आदि नहीं मिल रहे हैं। उसके पीछे कारण यही है कि हमने कई कानून बना दिए। हमने 1980 में फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास किया। वह उन राज्यों और इलाकों के लिए बनाया गया था जहां वन प्रदेश है। लेकिन उसके बाद वहां सारे निर्माण के काम ठप्प हो गए। उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों में, बुन्देलखंड और मिर्जापुर सहित, जहां जंगल हैं, हम वहां बिजली की लाइनें नहीं ले जा पा रहे है, हमें सड़कें बनाने में वहां दिक्कत पेश आ रही है और तमाम योजनाएं जोकि करोड़ों रुपये की सैंक्शन पड़ी है, उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे कृषि मंत्री जी यहां बैठे हैं, वह जरा ध्यान देकर सुनें कि हमारी कनहर परियोजना 50 करोड़ रु० की है, जिसमें 20 करोड़ रुपया अब तक खर्च कर लिया गया है, लेकिन बाकी पैसा हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कि वह जंगल की जमीन है, वहां आदिवासी लोग रहते हैं। इस कारण तमाम डेवलपमैंट के काम, बंधे और बंधिया बंद पड़े हुए हैं, जिन को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूरा हो जाना चाहिए था। इस फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के आ जाने के कारण हम उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जो हमने गरीब आदिवासियों के लिए, खेतिहर मजदूरों और कमजोर वर्गों के लिए निर्धारित किए थे। उनके लिए विभिन्न योजनाएं थी, जगह-जगह सड़कें बनाई जानी थीं, बंधे और बंधिया बनाई जानी थीं, सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाने थे, नहरें निकालनी थीं।

आज जबकि हम संविधान में और संशोधन करने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि

इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करनी चाहिए कि किस तरह से लैंड सुधार किया जाए। एक तरफ वे लोग हैं जो करोड़ों की संख्या में भूमिहीन हैं, उन को जमीन मिल जाए, जो भूमि लोगों को बंटी हुई हैं। हमें एमर्जेंसी का वह समय याद है जब हमारे देश की नेता इंदिरा जी के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों में खासकर भूमि वितरण का कार्य किया गया, वैसा आज तक कभी नहीं हुआ। लेकिन अफसोस की बात है कि 1977 में जनता राज आ जाने के बाद, जो कि बिल्कुल जन आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं था, जनमानस को भ्रमित करके उन्होंने उन जमीनों का कब्जा उनके पुराने लोगों को दिलवा दिया। मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इन्होंने उस समय एक हवा फैलाई कि जो जमीन ग्राम समाज या सीलिंग से निकली है, उसको उन्हीं लोगों को वापस कर दिया जाए, जिन के पास वह पहले थी, इसके कारण अत्यधिक अव्यवस्था फैल गई, इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम चाहे इधर बैठने वाले हों या उधर बैठने वाले हों, जब भी जमीन सुधार का प्रश्न हमारे सामने आता है, बड़े किसान और छोटे किसान, इन दोनों के बारे में हम पुरानी परिभाषा को लागू नहीं कर सकते। यदि हम कहें कि जोतने वाले की ही जमीन होती है, तो उस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब समय बदल गया है। उन किसानों का क्या होगा, जिनके पास ट्रैक्टर है। वैसे ट्रैक्टर बहुत से किसानों के पास होगा। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि अब हमें किसानों की ओर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वे कोई फ्यूडल नहीं हैं, सामंतवादी नहीं हैं, सीलिंग की सीमा के अंतर्गत ही हैं। जैसा अभी हमारे एक साथी भी कह रहे थे, यह बात बिल्कुल सही है कि जितने किसानों के पास ट्रैक्टर हैं, वे उसकी किश्त तक ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। हम देखते हैं कि कहीं दूसरा काम धंधा ढूंढते हैं ताकि किश्त तो ठीक से दे सकें। इसलिए वह बात पुरानी हो गई है जब कि हम लोगों को खुश करने के लिए कहें, लेकिन अब उससे काम नहीं चलने वाला है। बल्कि हमें यहां उनके संबंध में व्यवहारिक रूप अख्तियार करना होगा और यह देखना होगा कि किस प्रकार से जमीनों का वितरण समयबद्ध हो जाए।

मान्यवर छठी पंच-वर्षीय योजना में हमने जो लक्ष्य रखा था, मैं उसके लिए केन्द्र सरकार को दोष नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूं कि विभिन्न समय पर इन्होंने गाइडलाइंस भूमिसुधार के संबंध में जारी की है, और यह कार्यक्रम बीस सूत्रीय कार्यक्रम का एक भाग भी है, लेकिन राज्यों ने उनका पालन नहीं किया। दूसरे हमारा जो कंजर्वेशन एक्ट है, माननीय कृषि मंत्री जी आप ध्यान दें, वैसे बहुत अच्छा है लेकिन आवश्यकता है कि देश में इकालोजी मेंटेन करने के लिए, वनों को ठीक रखने के लिए, जंगलों का संवर्धन करें। लेकिन जहां जंगल नहीं हैं और जहां जंगलों में आदिवासी रहते हैं आप उनको ऊपर उठाना चाहते हैं......

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : जहां जंगल कट गये हैं वहां लगाना चाहते हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : जरूर लगवायें, मुझे एतराज नहीं है। लेकिन जहां जंगल नहीं हैं, लोगों की खेतीबारी और मकान हैं ऐसे क्षेत्रों के बारे में सोच कर योजना बनायें। अगर जंगल नहीं काटना है तो वहां रहने वाली आदिवासी जनता की जरूरतों को

[श्री राम प्यारे पनिका]

भी पूरा करना है। आप कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में सड़कें बनानी हैं, बिजली ले जानी है और 1990 तक सभी गांवों में बिजली ले जानी है लेकिन आपका जंगल विभाग बिजली नहीं ले जाने देता है। इसलिये ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि मंत्री आपस में बैठ कर तय करें कि किस तरह से आदिवासी इलाकों का, जिसकी आर्थिक व्यवस्था का साधन ही जंगल है, समन्वित रूप से विकास किया जाय।

आप देखें किस तरह से फोरेस्ट आफिशियल्स चोरी कराकर अपनी ऊपरी आमदनी करा रहे हैं। एक-एक रेंजर की 1, 1 लाख रु० माहवार की आमदनी है क्योंकि वह अवैध रूप से जंगल कटवा रहे हैं। मैं बहुत जंगल प्रेमी हूं और पेड़ लगने चाहियें 20 सूत्री कार्यक्रम में। लेकिन व्यवहारिक पक्ष देखते हुए हमारा विकास भी हो। और 33 प्रतिशत देश में जंगल हों, कुछ राज्यों में 17, 18 परसेंट जंगल हैं, लेकिन जंगल इस तरह से लगायें कि जहां जंगल लग सकते हैं वहां जंगल लगायें जायें और जहां खेती होती है वहां खेती की जाय ताकि एक बैलैंस्ड विकास हो।

इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

*DR. V. KULANDAIVELU (Chidambaram): Mr. Chairman, Sir, on behalf of my party, the Dravida Munnetra Kazhagam I wish to say a few words on the Constitution (Forty-eighth) Amendment Bill, 1983.

At the very outset I have to point out that this Bill is an apt illustration of the inept functioning of the Central Government. I am constrained to say this that even in respect of giving constitutional protection to the Land Ceiling Laws of States the Central Government has been inordinately delaying necessary legislative formulation. I should say that the House should feel happy because the Government have at last woken up to the necessity of giving constitutional safeguards to the land ceilling laws.

We are talking about the phenomenal progress that we have made in the country since independence. We have made rapid strides in industrial growth. We have made significant progress in education. We have made appreciable progress in science and technology. Yet I am sorry to say that we have not brought about economic equality in the country. The gap between the haves and have-notes is widening. The rich are becoming richer and the poor are becoming poorer. We have not been able to make any dent in eradicating the scourge of poverty from the country. According to the statistics furnished by the Government, 80% of our population is living in rural areas. The Centre has accepted that 45% of our people is below the poverty line. I have no hesitation in asserting that really more than 60% of our population is below poverty line. The population explosion is not the main contributory factor for this sorry state of affairs.

Indian economy is agricultural economy. Agriculture if dependent on the sweat and blood of the tillers of the soil. Those who feed the nation are unfortunately under-fed and under-clothed. They are being exploited in open day light. They do not get even minimum wages assured to the industrial workers. They are not organised to fight for their rights. Above all, they are bonded labour of the new rich land-lords. These landless agricultural labour continues to wallow in poverty. The Central Government may say that the States have passed many land ceiling laws during the past 37 years. They have not been implemented effectively in most of the States. Even where they have been implemented, due to built-

*The Original speech was delivered in Tamil.

in loopholes, the surplus land has not been transferred to the landless. Even where such transfers have been made, only waste and poromboke land has been given in some States to a few landless people. On the other, the land-lords have circumvented the landceiling laws by transferring the land in binami names. Though we have abolished zamindari system, the Government have not been able to contain the growth of new land lordism all over the country. The Government have not been able to curb the binami transfers of the rural vested interests. These are the primary causes for continuing poverty in our country. We have not been able to improve the standard of the rural mass because of non-implementation of land-ceiling laws.

In one word, I can say that land-reform is the essence of all progress in the country. For this land-reform we should implement the land ceiling laws offectively. Unfortunately, the Central Government does not ensure expeditious assent of the President for the State land ceiling laws. For example, the Tamil Nadu Legislative Assembly had passed land ceiling amendment laws in 1978 and 1979. They were sent to the assent of the President. Till today they have not received the President's assent.

16.54 hrs.

[DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI *in the Chair*]

Instead of ensuring that the land celing laws are effectively enforced in the States by prompt distribution of surplus lands to the landless, to the harijans, to the scheduled castes and to the scheduled tribes, to the backward classes and to the poorer section of the society the Centre is delaying the President's assent to the State laws. This is another reason for the perpetuation of poverty in the country. Unfortunately poverty itself has become a political toll in the hands of the ruling party at the Centre. Otherwise, the Centre would have ensured that the Green Revolution, which has been achieved by the sweat and blood of agricultural labour, is sustained by prompt distribution of surplus land to the agricultural labour. I have to say that even this Green Revolution has been appropriated by the rich land-lords, who have grown in opulence and whose income is beyond the purview of taxation. Black money is being generated by them and there is no control over their financial manipulations. The State Governments are silent spectators of this unhappy situation in the rural areas. The Centre is turning a deaf ear to the primary needs of agricultural labour; at the same time the Centre is turning a blind eye to the personal aggrandisement of landlords in rural areas. It is within the knowledge of Government that large scale benami transfers of land are taking place. Yet no penal action is being taken against such violation of the laws of the land. Taking about land reforms through effective implementation of land ceiling laws, in my opinion the Government have not ensured due share to the poor people, to the gullible people, to the exploited people of our nation. That is why 60% of our population is belonging to the group below poverty line The Central Goveernment must come forward to enact, not only entact but also implement land ceiling laws and ensure that the State Government fall in line with the Centre's Guidelines in this regard.

MADAM CHAIRMAN : Kindly conclude within a minute.

SHRI K. MAYATHEVAR (Dindigul) : The House is not in order, Everybody is talking This is not a Panchayat Board Office. This is Parliament. Kindly ensure that the House is in order

17 00 hrs

*DR V. KULANDAIVELU : The Congress Party is in power in most of the states in the country. I do not understand their reluctance in implementing the Centre's Guidelines in land reform and land ceiling laws. I want to know what the Central Government has done in ensure that these

*The original speech was delivered in Tamil.

[Dr. V. Kulandaivelu]

Congress Governments in the States implement the land ceiling laws according to the Centre's Guidelines. I also want to know what action has been taken against those States which have not implemented the Centre's Guidelines. We are hearing day in and day out that Prime Minister's 20-point programme is the panacea for all the ills of the country. Yet the Congress Governments in the States do not implement effectively one of the 20-point programme, *i. e* the land reform. I want to know what action the Centre proposes to take against those faulting States. The Centre must ensure that the land ceiling laws just do not remain on the statute book. They must be translated into action. The bureaucracy both in the Centre and in the States must be made to realise that their existence depends upon the successful implementation of land reform laws. They must be told that Green Revolution will not be a permanent feature, unless the tiller is giving the land for cultivation. There must be effective distribution of surplus land among the harijans, scheduled castes and scheduled tribes, backward classes and other poor people who are the agricultural labour in the country and whose sweat and toil has contributed to the Green Revolution. I take this opportunity to urge upon the Central Government not to remain content with including some State laws of Assam, Bihar, Haryana, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal and the Administration of the Union Territory of Goa, Daman and Diu in the Ninth Schedule of the Constitution, but also tame energetic steps for effective implementation of land ceiling laws.

With these words I conclude my speech.

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : सभापति महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि यह जो संविधान (48वां संशोधन) विधेयक सदन में पेश किया गया हैं, उसको एक ऐसे व्यक्ति ने पेश किया है, जिनका संबंध गांवों से है। मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि आवश्यकता को समझते हुए यह बिल उन्होंने पेश किया। और कुछ कहने से पहले मुझे यह कहना है कि सब से बड़ा आश्चर्य यह होता है कि एक ही बगल में चार किसान बसे हुए हैं। एक सीधा सादा है, एक चतुर है। जो सीधा सादा है उसकी सारी जमीन सीलिंग में निकल गई और जो चतुर है उसकी सारी जमीन बची हुई है। दोनों सौ-सौ एकड़ के किसान थे, एक के पास सौ एकड़ मौजूद है और दूसरे के पास 18 एकड़ से 27 एकड़ मौजूद है। यह आश्चर्य है। हमें मालूम है कि कुछ बड़े-बड़े हंसते भी हैं हमारी मजबूरियों से। हमारी बेबसी पर उनको हंसी आती है। वह इसलिए कि कानून से तो हम सेफ कर दिए गए हैं लेकिन असलियत क्या है कि कानून का सारा उपभोग साधन सम्पन्न लैंड लार्ड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हम गांव के रहने वाले किसान हैं। हमारे यहां बड़े-बड़े लोग हैं जिनको राजा महाराजा कहते रहे, आज भी वह राजा महाराजा के रूप में हैं। इस सदन में भी ऐसे लोग हैं। जब हम ट्रेन में जाते हैं और देखते हैं तो पाते हैं कि इलाका का इलाका राजा लोगों का पड़ा हुआ है। लोग पूछते कि क्या सीलिंग हुई है? हमें जवाब देने को नहीं मिलता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह केवल मखौल उड़ाने के लिए कानून बनता है या सचमुच में एक्सपरिमेंट करने के लिए कानून बनाया जा रहा है?

उत्तर प्रदेश की बात मैं जानता हूं। उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे बड़े लोग हैं जिनकी जमीन किसी नौकर के नाम से, लडके के नाम से, लड़की के नाम से या और किसी संबंधी के नाम से पड़ी हुई है। इस तरह से हजारों एकड़ के फार्म और जंगल सब उनके बरकरार हैं। ...(व्यवधान).. हमें तो

पांच एकड़ भी नहीं मिलती है। तो यह कानून जो सदन में पेश किया गया है यह महज दिखाने के लिए पेश किया गया है या अमल करने के लिए पेश किया गया है? यहीं बगल में एक सरदार साहब हैं, हजारों एकड़ का फार्म उनका है और उसके लिए यह कह दिया जाता है कि एस्टैब्लिश्ड फार्म है... (व्यवधान)...

सभापति महोदय : सदन में लोग बहुत बात कर रहे हैं। जो लोग भी आ रहे हैं। अन्दर वह अपनी जगह पर बैठ जायें और आप लोग बातचीत करना बंद कर दें। हाउस में आर्डर मेंटेन कीजिए।

श्री राम नगीना मिश्र : यह बिल ऐसे समय में पेश हुआ है कि करीब हर तरह और हर स्टेटस के लोग सदन में मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय जब जवाब दें तो क्या इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि जो बड़े-बड़े लोग राजे महाराजे हैं जिनकी जमीन आज भी ज्यों की त्यों बरकरार है जिनके हजारों एकड़ के फार्म और बगीचे मौजूद हैं, केवल कागज पर नाम दूसरों का है, क्या उनके ऊपर यह कानून लागू होगा? इतना ही नहीं, जो संविधान हमारा है, उसके तहत हमारे कांग्रेस जन भी ऐसे कितने हैं जो इस कानून पर अमल करते हैं? क्या हमारे लोगों के पास हजारों एकड़ का फार्म नहीं है? जब हम कानून बनाने वाले खुद कानून का उल्लंघन करेंगे तो यह कानून कैसे लागू हो सकता है?

सभापति महोदय : कृपया शोर न करें।

श्री राम नगीना मिश्र : कुछ लोग हंसते इसलिए हैं कि यह कानून कागज में रह जायगा, अमल में नहीं आएगा। हम बार-बार इसलिए चिल्ला रहे हैं कि आपने जो संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है उस से बल मिले और मौके पर ही फैसला हो सके अदालत में केस लटका न रहे। आज कौन से ऐसे बड़े लोग होंगे जिनके सीलिंग से संबंधित 10-20 मुकदमे हाईकोर्ट में न चल रहे हों। सभी के मुकदमे चल रहे हैं। इतना ही नहीं, आज उनकी सम्पत्ति शहरों में भी है। उनकी कोठियां शहरों में भी बनी हुई है। उधर शहर में उनकी कोठियां चमक रही हैं और इधर फार्म भी चमक रहे हैं। यह दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकेंगी जबकि दूसरी ओर इस देश के इंसान भूख से तड़प रहे हों। आप जानते हैं कि भगवान के गुरु विश्वामित्र को भी भूख की ज्वाला ने मांस चुराने के लिए विवश कर दिया था। मुमुक्षितः किम् न करोति पापम्। भूखा इंसान क्या नहीं कर सकता है? आज लख-पति करोड़पति लोग जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं वह, जब भूखा इंसान जागेगा तो उसकी भूख की ज्वाला में जलकर राख हो जायेंगे। आज नहीं तो कल उनकी मांग पूरी ही करनी होगी इसलिए बड़े लोगों को चाहिए कि सहनशीलता के साथ अपनी सम्पत्ति को उन गरीबों में बांट दें। लेकिन यह होने वाला नहीं है। अगर सामने देख रहा हूं पर्वत है तो उसको मैं पेड़ कैसे कह दूं। सामने में अन्न को देख रहा हूं तो उस पत्थर कैसे कह दूं। आज बड़े-बड़े भू-पतियों ने ट्रस्ट बना लिए हैं, उसके नाम पर स्कूल चला रहे हैं लेकिन उस सम्पत्ति का उपभोग स्वयं कर रहे हैं। आप स्वयं पता लगा सकते है कि जितने भी बड़े-बड़े फार्म थे उनमें से कितने एकड़ भूमि सीलिंग में निकल सकी है। इतना ही नहीं, जो भी भूमि कागज पर गरीबों को बांटी भी गई है वह भी उन्हीं की जोत में है। इसलिए मैं

[श्री राम नगीना मिश्र]

कहना चाहता हूं कि इस कानून को इस दृष्टिकोण ठीक बनाया जायेगा या नहीं।

एक दूसरा पक्ष भी है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। बड़े-बड़े लोगों की जमींदारी तो चली गई। जमीनें कुछ सीलिंग में निकली और कुछ उन्होंने बचा ली। दूसरी तरफ जब हम शहर में देखते हैं तो पाते हैं करोड़ों रु० की कोठियां चमक रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों ने क्या गुनाह किया था, उनकी जमीनें तो आप ले लेते हैं लेकिन शहरों में जो करोड़ों रु० की कोठियां बन रही हैं, उनके पास जो सम्पत्ति है उस का बटवारा नहीं होना चाहिए? क्या केवल जमीन के बटवारे का ही सवाल है, सम्पत्ति पर हदबंदी नहीं होनी चाहिए मैं तो समझता हूं जबतक शहर की सम्पत्ति का भी बटवारा नहीं होगा, समाज से विषमता दूर नहीं होगी। आए दिन लोग मखौल उड़ाते हैं कि यह कैसा समाजवाद है। समाजवाद में तो विषमता का अनुपात बहुत कम होना चाहिये लेकिन आज क्या स्थिति है? यह विषमता कैसे कम होगी? जबतक शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग लागू नहीं होगी तबतक यह विषमता नहीं जायेगी। आज जो बड़ी-बड़ी कंपनियां चल रही हैं उसमें अगर किसी के चार लाख के शेयर हैं तो अरबों रुपया सरकार का लेकर वह उसका मालिक बना बैठा है। कौन सी कंपनी है जो केवल शेयर पर ही चलती है? उनमें सारा रुपया सरकार का ही लगा है लेकिन मैनेजमेंट उनके हाथ में है। आज जिनके पास पैसा है, भगवान ने अकल भी उन्हीं को दे दी है। वे लोग अकल को खरीदते हैं। बड़े-बड़े कैपिटलिस्ट के यहां सबसे अच्छा इंजीनियर, सबसे अच्छा बुद्धिजीवि तनख्वाह पर रखा जाता है और वे लोग उनकी अकल से समाज का शोषण करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा—यह बड़ा सौभाग्य है कि आपने इस बिल को पेश किया है, लेकिन इसमें यह समावेश भी होना चाहिए कि तमाम संपत्ति की सीलिंग होनी चाहिए। आज हाईकोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट्स तक सीलिंग के मुकदमे चल रहे हैं। आपने 18 से 27 एकड़ जमीन गांव वालों को दी है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, यह कुछ कम है, इसको 30-40 एकड़ तक किया जाय और बाकी जमीन किसानों में बांट दी जाय, तब किसानों को महसूस होगा कि उनको कुछ मिल रहा है।

जमीन का बटवारा करते समय मै यह भी निवेदन करूंगा कि जिनके पास भूमि न हो, उनको ही भूमि दी जाय। इसमें यह प्रतिबंध न लगाया जाय कि जो फलां जाति का है, यदि उसके पास जमीन नहीं है तो भी उसको जमीन नहीं दी जायेगी। चाहे कोई किसी भी जाति का हो, यदि वह भूमिहीन है, सरकारी-खतनी में उसका नाम नहीं है तो उसको जमीन दी जाय।

इन शब्दों के साथ, आप जो बिल लाये हैं मैं समझता हूं यह सदन इसको सर्व सम्मति से पास करेगा और जब यह कानून अमल में आयेगा तो उससे किसानों को राहत मिलेगी।

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा): सभापति जी, जो कांस्टीचुशनल अमेंडमेंट बिल इस समय सदन में विचाराधीन है, मैं उसका समर्थन करता है। सपोर्ट इसलिये कर रहा हूं—चूंकि इसकी आवश्यकता थी और आवश्यकता है। लेकिन मुझे इस पर कोई विश्वास नहीं है और न उम्मीद है कि आपके शासन के रहते हुए भूमिसुधार

कानूनों का ईमानदारी से कार्यान्वयन किया जायेगा। अभी आपके ही पक्ष के एक माननीय सदस्य ने आप लोगों की तरफ अंगुली उठाकर कहा है कि शासक दल में भूमिपति बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। मैं तो केवल आपके दल के एम० एल० एज और एम० पीज की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जो आपके मिनिस्टर्ज हैं उनमें भी कई ऐसे हैं जो बड़े-बड़े भूमिपति हैं। जब शासक दल में उनका इतना बाहुल्य हो तो जमीन का सही ढंग से बटवारा हो या सीलिंग से ज्यादा जमीव निकले—यह कभी भी संभव नहीं है। यही वजह है कि 37 साल की हुकूमत के बाद भी देश के अन्दर एक आंकड़े के मुताबिक 2 करोड़ सरप्लस लैंड मौजूद है। अभी तक पूरे देश में इस बारे में जो प्रगति हुई है—सीलिंग एक्ट के मुताबिक चौथाई जमीन भी हासिल नहीं की जा सकी है। सीलिंग एक्ट के मुताबिक जितनी जमीन ली जानी चाहिए, वह नहीं ली गई है। जो जमीन ली गई है, उसकी आधी जमीन का भी बटवारा नहीं हुआ है बांटी गई जमीन के चौथाई से ज्यादा हिस्से पर उन भूमिहीनों को कब्जा नहीं दिलाया जा सका है। जब इतनी दयनीय दशा भूमि सुधार कानून की हो और आपके इतने विशाल बहुमत के बावजूद इतनी बड़ी शक्ति के मौजूद रहते हुए भी, बार-बार घोषणायें करने के बाद भी, अपनी योजना का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हुए भी, 20 प्वाइंट प्रोग्राम में इसको इंक्लुड करने के बावजूद आज देश के अन्दर यह स्थिति है कि जमीन का बटवारा आप अभी तक नहीं कर सके हैं। आज हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है, उसका 50 प्रतिशत कृषि से आता है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि देश की आय का यह एक बड़ा स्रोत है। आज अगर हम देश के अन्दर से गरीबी और बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं तो हम को हदबंदी से फाजिल जमीन को भूमिहीनों और गरीबों में बांटना होगा। तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है। आज लोगों के अंदर जमीन की भूख जगी है इसके लिये जब जमीन लेने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं तो आपके द्वारा बनाए हुए कानुन के तहत तब उनको नक्सलाइट करार दे दिया जाता है। उग्रवादी करार दे दिया जाता है। उनको गोलियों से भून दिया जाता है। अभी बिहार के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ने जमीन के बंटवारे का आंदोलन किया। 9 अगस्त को हदबंदी से फाजिल जमीनों पर हमने झंडा गाड़ा और कब्जा किया। हम वह जमीन भूमि-हीनों को दिलाना चाहते थे। कई जगह उस जमीन को जोता गया लेकिन आपने उन पर गोलियां चलाई, लाठियों का प्रहार किया गया। हम कोई गैर-कानूनी कदम नहीं उठाना चाहते। आपके बीस सूत्री कार्यक्रम का यह अंग हैं। हम इसमें सरकार की मदद करना चाहते हैं। लेकिन 1980 से अब तक जितनी बार भी इसकी कोशिश की गई इस सवाल को टाल दिया गया। इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। हमारी पार्टी आपके इस प्रोग्राम के साथ है, आपकी मदद करना चाहती है। लेकिन इसके लिए हम जहां कहीं भी जाते हैं, हमको निराश होना पड़ता है। कहां से सहयोग नहीं मिलता है। यह इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर पोलीटिकल विल नहीं है। आज जब चुनाव होने जा रहा है तो इस मौके पर आप इसको ला रहे हैं। इतने दिन पहले क्यों नहीं लाया गया? यह तो आपके सिक्स्थ फाइव इयर प्लान के घोषणा पत्र में था। आपने कहा था कि जल्द से जल्द इसका नाइंथ शेड्यूल में

[श्री विजय कुमार यादव]
समावेश करेंगे। लेकिन आप नहीं कर सके। मैं बताना चाहता हूं, जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने कहा बिहार में लोगों के पास आज भी 40-40 और 50-50 हजार एकड़ जमीनें हैं। उन्होंने ट्रस्ट एवं मंदिर के नाम पर, स्कूल के नाम पर, प्लेग्राउंड के नाम पर, हास्पीटल के नाम पर, बाग-बगीचे के नाम पर जमीनें रखी हुई हैं। ऐसे लोगों को छुट दी गई है। सीलिंग कानून के लू-फोल्स के कारण भूमिपति लाभ उठा रहे हैं।

अभी तक परिवार की परिभाषा भी ठीक तरह से नहीं तय हो पाई है। हालांकि यह स्टेट-कानून है। मैं यह नहीं कहता कि यह कानून आपने बनाया है। लेकिन इसके अंतर्गत पूरे देश में गड़बड़ी हो रही है। लोग कानून का सहारा लेकर अधिक जमीन रखे हुए हैं। यही नहीं अपने नौकरी के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर, यहां तक कि जानवरों के नाम पर, हाथियों और कुत्तों के नाम पर बिहार के अंदर लोगों ने जमीन रखी हुई है। इसलिए केन्द्रीय तौर पर गाइड लाइंस की आवश्यकता है। दरअसल में सरकार अगर चाहती है कि भूमि का बंटवारा हो, भूमि-हीन को फायदा हो तो इस तरह गाइड लाइंस आवश्यक है।

अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि जितने भी भूमिहीन लोग हैं, सब को जमीन दी जाये। यह कोई थ्यूरी नहीं है। जमीन उसको मिलेगी जो कृषि पर निर्भर है। जो जमीन जोतता है। इतनी जमीन नहीं है कि सबको जमीन दी जाए। यह कभी संभव नहीं है। जो कृषि पर निर्भर करता है और जमीन जोतता है, उसको आप जमीन दीजिए। हम, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इस बात को महसूस करते हैं कि आप ऐसे लोगों को जमीन नहीं दे सकेंगे। लेकिन ईमानदारी से जमीन का वितरण किया जा सके तो देश के अन्दर एक नया नक्शा बन सकता है। देश की प्रगति के मार्ग में एक नया मोड़ लाया जा सकता है। देश की प्रगति में एक सहायक कदम हो सकता है। चुनाव के दृष्टिकोण से आप लोग प्रयास कर रहे है। इसके जरिए से आपको वोट नही मिलेंगे। यह काम अच्छा है, पहले ही होना चाहिए था। एम्स एंड आब्जेक्ट्स में जो आपने स्टेटमेंट दिया है, उससे यह जाहिर होता है कि बहुत से कानून ऐसे है जिनको अभी इसमें नहीं ला रहे हैं। राष्ट्रपति के यहां कई कानून पेंडिंग हैं। अभी बंगाल के साथी ने कहा कि प्रोग्रेसिव लैंड रिफार्म्स का कानून बनाया था, वह अभी वहीं पड़ा है। कांग्रेस की सोशलिज्म की लाईन रही है। जमीन बंटवारे में आपका विश्वास का दावा रहा है। आजादी के समय यह कहा गया था कि हम जमीनों को लेंगे और बंटवारा करेंगे। जो स्टेट कदम उठाता है, उसके कानून दस-दस साल तक राष्ट्रपति के यहां पड़े रहते हैं। उनको क्यों रोका जाता है? इस से यह पता चलता है कि जो भूमिपति है, उनके साथ आपकी सांठ-गांठ है। देश के जो असल गरीब, मजदूर और बेरोजगार हैं उन की भलाई में आपका विश्वास नहीं है। वोट कैचिंग स्लोगन के रूप में आप उनको दे रहे हैं। आप, इन सब बातों को ईमानदारी से हल कीजिये। स्टेट्स के अन्दर सीलिंग एक्ट के कानून में जो गड़बड़ियां हैं, उनको दूर करने की कोशिश कीजिये। सीलिंग की प्रोसीडिंग्स तीन-चार साल तक चलती रहती हैं। क्यों इतना टाईम देते हैं? एक से ज्यादा अपील करने का मौका मत दीजिये। जब उनको शो-काज का नोटिस दिया जाता है, तब भी उनको ज्यादा टाईम लेने का मौका नहीं देना चाहिए। जल्दी से

जल्दी सीलिंग का निष्पादन होना चाहिए ।

SHRI BUTA SINGH ; Madam. I just want to make a submission. Will you kindly let the House know at what time the voting will take place ?

MR. CHAIRMAN : There will be voting at 6 O' clock.

SHRI RAMAVTAR SHASTRI : Which voting ? There will be two votings.

MR. CHAIRMAN : The first voting will be at 6 O' Clock. Prof. Narain Chand Parashar.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR (Hamirpur) : Madam, I rise to support the Constitution (Forty-Eighth Amendment) Bill of 1983.

It has been seen that though the various States have followed some progressive economic policies, in spite of various progressive measures of Legislation. Yet there have been some lacunae and litigation. This Bill seeks to give in to 14 Acts passed by various States by including them the in Ninth Schedule.

(Interruptions)

The 9th Schedule provides protection or at least is supposed to provide protection against the litigation and it is to strengthen this protection against land litigation that all these 14 Amendments to the main Acts have been included in this Constitution Amendment Bill for entry in the 9th Schedule.

Among these Bills, there are 2 from Assam, 4 from Bihar, 1 from Haryana, 2 from Tamilnadu, 1 from UP, 2 from West Bengal and 2 from the Union Territory of Goa, Daman and Diu. As has been stated in the aims and objects of the Bill, after these Amendments to these Acts are made and the Acts are included in the Ninth Schedule, there will be no litigation.

However, I point out that in the name of Fundamental Rights and in the name of certain Clauses in the Code of Civil Procedure, the land-lords still take recourse to litigation and in spite of our programmes for land reforms and for tenancy and for giving land to the poor and the landless, may be the definition of the landless may be one who depends on land or one who is expected to earn his livelihood from a profession connected with the land, even then some people resort to force and the result is that those who have been given land under the programme of land to the landless are also dragged to court. So, various States have been experiencing difficilty.

I welcome this recourse to the Ninth Schedule. But I would request the hon. Minister to see how many Acts which are already in the Ninth Schedule and the Amendments which are already in the Ninth Schedule and in spite of this, how many are the cases pending in the court even though they are included in the Ninth Schedule. Some way out must be found.

I would suggest that the State should come forward with the offer of being a party because the land has been given to tne landless, to the poor. Now since he is a poor man, since he did not have any means of subsistence, so you gave him the land. But, instead of getting the land, he is being draggeed to the court with the result that he has got the possession of the land but he has to spend money on litigation and on producing witnesses and marshal facts and all this type of things. On the one hand he is expected to get some relief out of this measure of the State and, on the other hand, he has been put to difficulty.

So, I would suggest that this should be looked into and it is a very serious problem. In one of our own districts, I met the Collector and found that once more than 200 cases are there in the courts though the Act stands on included in the Ninth Schedule In spite of that, there are 200 cases in a district with

[Prof. Narain Chand Prashar]

3 lakh population. People are under harassment because they cannot get justice and they cannot got land. They have to run from pillar to post. This is the grave lacuna. In the name of civil procedure, in the name of certain procedure of the High Court, people do take recourse to litigation even in spite of the fact that we have included these Acts in the Ninth Schedule.

So far as the spirit of the Bill is concerned, it is a very good measure and I hope it would provide some relief.

Secondly, the criticism from the other side that Congress was in favour of giving land to the tiller and that it no longer is in favour of that ideology, is entirely baseless. I refute this criticism because the Indian National Congress is the one Party which abolished zamindari in many of the States and gave land to the tiller, In fact, with the dawn of independence and even before that, the tillers were given the land because the ideology of the Congress was to give land to the tiller and, therefore, zamindari was abolished in many States even before independence.

Under various Items of the 20-Point Programme, land has been distributed and similarly, under the Scheme of land to the landless, various States have enacted measures. Legal protection has been given by including these Acts in the Ninth Schedule. But I would plead with the hon. Minister to see that in cases where you cannot prevent litigation, you cannot prevent the poor tenants from being dragged in the court, as part of the programme of 'Land to the Landless' you should provide for the State to be the party. The State should bear all the expenses of the litigation because the cause of action arises in this way. It is the State which gives the land ; therefore, the State should be the party and the State should be responsible for handling any litigation which is thrust on the poor people. I hope, the hon. Minister will take this viewpoint into consideration and ensure that protection is given to the poor man who is given a small piece of land and who is dragged to court—even without his getting the land sometimes because some landlords do not want the land to be given to them.

With these words, I support the Bill.

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : Sir, to begin with, I want to seek certain clarifications from the hon. Minister in charge of this Bill. In the Statement of Objects and Reasons it has been stated :

> "The various Acts which have been suggested for inclusion have been examined and it is proposed to include in the Ninth Schedule such of these Acts as have either been challenged or are likely to be challenged and thereby ensure that the implementation of these Acts is not adversely affected by litigation."

It raises certain suspicion whether the object of the Government is to bring under this Schedule all the Acts relating to land reforms. Various State Governments have suggested a number of Acts to be included under the Ninth Schedule, but the Statement of Objects and Reasons admits that some of them have been chosen and some others have not been chosen, have been kept outside the pale of this Bill. I want this clarification as to which are the States and what is the number of Acts which have been suggested by the respective State Governments for inclusion in the Ninth Schedule, and why all their suggestions have not been accepted by the Government in respect of inclusion of the Acts in the Ninth Schedule.

Coming to the main Bill, I am one of those who have been speaking here in this House right from the day I have been elected that introduction of land reforms is the key to the various problems of our country, including the pace of industrialisation, it is the key to the eradication of poverty, it is the key to

eliminate or reduce the unemployment problem; as a matter of fact, it holds the key for the prosperity, progress and advancement of our country. It is true not only for our country but for all the developing countries, particularly in Asia. Therefore, land reforms constitute one of the main objectives of our people. I am glad that the successive Five-Year Plans have underlined and underscored the importance and urgency of land reforms. But after the completion of five Five-Year Plans, or rather, even after the completion of the Sixth Five-Year Plan, the problem has not been solved ; in fact, not even the fringe of the problem has been touched.

I am thankful to my hon. and good friend, Shri Mool Chand Daga, who has been pleased to mention that about twelve lakh acres of land are still locked up in court cases. He has identified the magnitude of the problem.

So far as achievement of land reforms is concerned, you will be astonished to learn that, according to the report of the Agriculture Ministry, with the enforcement of the ceiling laws in the States, only 4.6 lakh hectares of land will be made available as surplus. This quantity of land is nothing but 1% of the total cultivable land of our country. This is such an insignificant quantity of land which even after enforcement of all the ceiling laws will be made available to the State for distribution .

So far as landless agricultural workers are concerned, their number is not less than 5 crores in our country. Some of my good friends have also suggested that according to earlier calculation about 2 acres of land can be had after the enforcement of ceiling laws. That means that there have been loopholes by which the majority or quite a considerable segment of the available surplus has been eroded. This, I call, is the process of vanishing. The landlords, the big landlords have been vanishing the land and I have in my list names of some of the people. In Bihar, everybody knows the Mahant of Gaya is reported to have in his possession not less than 40,000 acres of land. In UP there are many families belonging to the ruling party who hold excess land. In Rajasthan, almost all the former rulers are having land which is surplus land. Now it is reported that one ** has got thousands of acres of land which is being possessed illegally and no action is being taken although all this is known to the Government. So merely inclusion of certain Acts which is also done in a selective way is not going to solve the problem of land reforms. So far as inclusion is concerned; I am in all agreement with you. As a matter of fact this should have been done much earlier. But the main problem cannot be solved by mere inclusion of these Acts in the Ninth Schedule.

17.42 hrs.

[SHRI R.S. SPARROW *in the Chair*]

But the basic problem remains and that basic problem is that unless the existing loopholes are plugged, surplus land will not be available and the surplus, as I have mentioned, is always decreasing and venishing. So, if the Government is realiy interested to bring about land reforms which, according to me, is the key to the solution of all basic problems of our country, certain effective measures are to be taken. If we are to take effective measures in land reforms, the need is for a political will. You cannot have that political will if your Party backs big landlords, big land shares, big land thieves and land dacoits. Therefore, the basic question is the political will.

I do not know whether you will be happy. The Government of West Bengal and the Government of Kerala—their contribution is the biggest so far as quantum of land so far distributed is concerned. Taken together these two small States of Kerala and West Bengal have so far distributed 30 lakhs acres of land—whereas in Bihar it does not touch even a four figure. In UP it is

** Not recorded.

[Shri Chitta Basu]

also so. The question is the complexion of the government and the political will of the ruling party. Thererefore, I say by mere inclusion of these 14 Acts—I do not know why you have chosen these 14 Acts alone and why not other Acts which have been suggested by several State Government as far as I know—the basic problem cannot be solved.

Lastly, I want to draw your attention to one thing. The Government is not serious. I charge this Government is not serious at all to the land reforms measure The example is very glaring. What prevents you I want to know from the Government - from giving assent to the land reforms Bill passed by the Legislative Assembly of West Bengal three years ago. You could not find the time to allow the presidential assent but you could find time to allow the Government of Bihar to enable the Tata company to enjoy the lease right of the Tata zamindari which was abolished by a law of the Bihar Legislative Assembly ?

The Bihar Legislative Assembly abolished the right of the Ta a on the land. But by a subsequent legislation, they have restored that right to Tata again. They did not require any time to give the Presidential assent to the Bill restoring that right of Tata to the land which he is now in possession of. In one case you did not want to give the Presidential Assent to the Bill which provided for the Government of West Bengal the right to distribute about 30 lakhs of acres, by plugging all loopholes in the existing Acquisition Act, to the landless agricultural workers This is the way by which you can bring about landreforms.

This is not only a slogan. The landreform is only on paper. As a matter of fact, the landreforms should be brought about effectively Land reform means transfer of ownership of lands to those who do not own any land This is the essence of land reforms I am compelled to make this remark that the will of the landless workers will ultimately prevail. Not only in Bihar but also in West Bengal, much of the land has been occupied by the landless agricultural workers and this has further been regularised by Government by a suitable legislation. In Andhra Pradesh, the movement is now on. It is not so in Bihar. From the experience, I have come to this conclusion that the ruling party lacks the political will. I would say that they will have to have the political will if they want to make the landreforms a success.

Therefore, while congratulating the Government and while supporting the Bill for the inclusion of the 14 Acts, I would urge the Government :—

(1) to take certain measures to remove the loopholes in the existing ceiling Act :

(2) to give the presidential assent to all the Bills which provide for land reforms in an effective manner ; and

(3) to inculcate the political will in the ruling party so that the landreforms can become a reality and it does not remain a paper dream.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor) : Mr. Chairman, Sir, this step of the Government was taken to include the landreforms acts in the 9th Schedule only after the landlords and landholders went to the court challenging the Acts. Why should we allow them to go to the court challenging these acts ? Therefore, my suggestion is that all these landreforms acts should be deemed to have been included in the Ninth Schedule as soon as they are passed by the Legislatures. Only then it will not be possible for anyone to go to the court. My other suggestion is that these are to be implemented effectively. As far as tenancy act is concerned, implementation is not being done ; in many places, the tenants are being evicted and the landlords take away their lands. That is why I say these land ceilings acts should be effectively implemented. Even the surplus lands have not been taken by various Governments and the lands are not distributed among the landless

poor. After their distribution, Government should also give them money to develop the lands. With regard to the other incomes my suggestion is that there should be a ceiling on agricultural income and on other incomes there is no ceiling. I want ceiling on incomes. Agriculturists are allowed to have only Rs. 3,600 income per annum whereas there are others who are getting crores of rupees per annum and, therefore, a national income ceiling is quite necessary.

17.57 hrs.

[DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI
in the Chair]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति महोदय, यह जो संविधान में 48वां संशोधन विधेयक 1983 हमारे सामने है इस का मैं समर्थन करता हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि देश की सबसे बड़ी आबादी गांवों में रहती है और गांवों के जो लोग हैं वह तब तक नहीं उठ सकते जब तक ठीक ढंग से भूमि सुधार न हो। सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। जहां बड़े-बड़े जागीरदार हैं बड़ी-बड़ी रियासतों में, बड़े-बड़े राज्यों में बहुत सारी जमीन का बंटवारा बाकी रहता है वहां पर इसे नवीं अनुसूची में शामिल करने का जो यह कदम उठाया है यह बड़ा सराहनीय कदम है।

हमारे हिमाचल प्रदेश ने सबसे अच्छा कानून बनाया और हिमाचल राज्य में आज कोई भी इस प्रकार का आदमी नहीं है जो भूमिहीन हो। भूमिहीन जो लोग हैं उनके लिए बड़ी प्राबलम्स आती हैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस जमींदार के पास उसकी जमीन पर वह काश्त करते हैं वह उनके नाम गिदौरी नहीं होने देते, उनके नाम चार साले नहीं होने देते। इसलिए कोई सबूत नहीं मिलता कि वह जमींदारी का काम करते हैं। वह एक किस्म के बंधुआ मजदूर होते हैं जो जमीन पर काम करते हैं। इसलिए जब भी किसी जमीनका बंटवारा हो और जमीन गरीब आदमियों को मिले तो उस का फायदा तभी हो सकता है जब उन लोगों को जमीन का मालिक बनाया जाय। क्योंकि अभी कई लोग इस तरह के हैं जो सरकारी नौकरी में भी हैं और उनके नाम हजारों बीघे जमीन भी चली जाती है मिल्कियत में और उनका सारा परिवार नौकर है। लेकिन जो गरीब आदमी है जो असली मानों में जमीन को काश्त करता है उसके लिए कोई सहारा नहीं है, न गांवों में है न शहरों में है। बहुत से लोग किराये के मकानों में रहते हैं और कई आदमी ऐसे हैं जिन्होंने भूमि को नाजायज तरीके से हथियाया हुआ हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। गरीब लोगों के खिलाफ मुकद्दमे अदालत में चलते हैं तो उनके लिए राज्य सरकार को पार्टी बनाया जाना चाहिए ताकि राज्य सरकार उनकी तरफ से मुकद्दमे लड़े। उनके पास कोई चीज नहीं होती है जिससे वह गरीब लोग मुकदमे की फीस दे सकें।

इससे बुरी हालत उन लोगों की होती है जो ट्राइब्स के लोग हैं, हरिजन है या गरीब लोग हैं जिनके पास अभी तक भूमि ठीक ढंग मे प्राप्त नहीं हुई है। उनको भूमि लेने के लिए डंडे खाने पड़ते हैं और उनको मार पड़ती है अगर वह जमीन की गिदौरी करवा लेते हैं। इस तरह के मुकदमे मैं समझता हूं कि हजारों की तादाद में देश में चल रहे हैं। सरकार को चाहिए कि सरकार उनको लड़े और उनको जमीन का मालिक बनाए।

जिस प्रकार से बिहार की बात यहां आई, हमारे अपोजीशन के लोगों ने भी इसकी ताईद

[श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी]

की। हम उनको बधाई देते हैं। कुछ लोग अपोजीशन के भी ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। लेकिन 1947 के पहले की हालत देखें तो इस सरकार ने जितने कदम उठाए हैं गरीब लोगों को ऊंचा उठाने के लिए उसी की वजह से गरीब आज आगे आ रहे हैं। अगर आपके हाथ में शासन होता तो कभी गरीब आगे नहीं आ सकते थे। यह तो सहज बात के लिए बात करते हैं। बड़े-बड़े पब्लिक स्कूलों में पढ़े हुए हैं जो थ्योरी जानते हैं कि एग्रीकल्चर ऐसे होता है, जिन्होंने कभी हल और कुदाली नहीं देखी, उन लोगों को सारे देश के किसानों के बारे में कुछ पता नहीं हो सकता है। वे सिर्फ थ्योरिटिकल बातें कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस सरकार ने जितने भी कदम उठाए वह सब देश के गरीब लोगों को उठाने के लिए हैं। हमारे जो कानून हैं वह बड़े अच्छे हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो लोग हैं वह जमींदार क्लास के लोग हैं, वे उनका ठीक ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। कई लोगों ने पहले नाबालिग बच्चों के नाम पर जमीनें करवा दी थीं, लड़कों के नाम से अलाहिदा जमीन कर दी थी और इस तरह से हजारों बीघे जमीन सीलिंग से बचा ली थी। इस लिए मैं समझता हूं सरकार को कानून में इस प्रकार का संशोधन करना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, जो जमीन काश्त करते हैं जमीन के मालिक वही बन सकेंगे। तभी मैं समझता हूं आपका कानून गरीब लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

इसके साथ-साथ मुझे यह भी कहना है कि आज किसान जो फसल पैदा करता है उसकी सही कीमत उसको नहीं मिलती है चाहे वह गन्ना पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है, सेब या आलू पैदा करता है या केला पैदा करता है, उसको फायदा नहीं होता है। जो बिचौलिये हैं, आढ़ती हैं वे किसान का शोषण करते हैं।

अभी यहां पर कहा गया कि सभी के हिस्से में दो-दो हेक्टर जमीन आती है। दो हेक्टर जमीन में कोई भी किसान रात दिन मेहनत करके कितनी भी पैदावार करे, क्या उससे वह अपने परिवार को पाल सकता है? नहीं पाल सकता है।

MR. CHAIRMAN : I had earlier announced that voting would take place at about 6 O' clock. But now there are five more speaker who want to take part in the discussion. So, it will take more time and the debate will continue till all the speakers complete their speaches.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Whenever the ruling party is sure of their being in majority, you announce about the voting First you said that the voting would be at 6 O'clock. Now, you say it will take place at 6 30 P.M. or so.

MR. CHAIRMAN : There are five more speakers who are anxious to speak. So, I am allowing them to speak.

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : सभापति महोदय, सरकार ने जो कदम उठाए हैं वह बहुत उचित हैं। आई०आर०डी०पी० और दूसरे प्रोग्राम जो सरकार ने चलाए हैं उनसे बहुत फायदा पहुंच सकता है बशर्ते कि उनका इम्प्लीमेंटेशन सरकारी कर्मचारियों के द्वारा सही ढंग से किया जाए। केवल कानून बना देने से ही सारे मसले हल नहीं जायेंगे, उन का सही इम्प्लीमेंटेशन होना भी बहुत जरूरी है। आज जमींदार अपनी जमीनों को बचाने की कोशिश करते हैं। आज बैकवर्ड

एरियाज में इंडस्ट्रीज लगाने में सब्सीडी दी जाती है। भारत सरकार की तरफ से करीब 20 परसेंट सब्सीडी दी जाती है। आजकल लोग एक हजार की जमीन खरीदते हैं और कई हजार की रजिस्ट्री करवा कर हजारों रुपए की सब्सीडी सरकार से ले लेते हैं। तो इन बातों की भी इंक्वायरी होनी चाहिए।

18.00 hrs.

आज बहुत से लोगों ने सरकारी जमीनों को हथिया रखा है, उन पर कब्जा कर रखा है, सरकार उन पर कोई कार्यवाही नहीं करती है। इसलिये राज्य सरकारों को हिदायत दी जानी चाहिये कि जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है उनके कब्जे को नाजायज करार दिया जाय।

जहां तक जमीदारों का सवाल हैं आज हमारे यहां जितनी सड़कें बनती हैं, बिजली के खम्बे लगते हैं, टेलीफोन के तार लगते हैं उसमें जमीदारों की जमीन भी जाती है, उनके दरख्तों को काटा जाता है, लेकिन उनको कम्पेंसेशन नहीं मिलता हैं। जमीदारों की कठिनाइयों की तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं देती है, सब की निगाह उद्योगों की तरफ जाती है और उद्योगपतियों को ही हर तरह के फायदे पहुंचाये जाते हैं। जब सरकार कोई कानून बनाती है और उसके तहत हमारे जमीदारों की जमीनों को लेती है तो उनको उन जमीनों का सही मुआवजा मिलना चाहिए। जमीन हमारे गांव के लोगों की माता है—इसलिये उसका सही कम्पेंसेशन उनको मिलना चाहिए और भूमि सुधार के अन्तर्गत जो मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं उन को समाप्त करना चाहिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): सभापति महोदया, मैं इस 48वें कांस्टीचूशन अमेंडमेंट बिल का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदया, अभी थोड़ी देर पहले हमारे विरोधी दल के लोग हमारी सरकार के लिये कह रहे थे कि 9वें शेडयूल में शामिल करने के इस कानून को यहां लाने में बहुत देरी की है। मैं उनसे जानना चाहता हूं—उस वक्त सी० पी० एम० वाले भी जनता पार्टी की सरकार के साथ थे, सी० पी० आई० वाले भी उस का समर्थन कर रहे थे—ये कानून जो 9वें शेडयूल में शामिल किये जा रहे हैं, कोई 1976 का है, कोई 1974 का है, कोई 1978 का है—ये सारे कानून जनता पार्टी के समय के हैं, जब आप इतने प्रोग्रेसिव लोग हैं तो उस वक्त इन कानूनों को 9वें शेडयूल में लाने की प्रक्रिया क्यों नहीं की? इसमें सबसे बड़ा दोष जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का है। उन्होंने उस वक्त इन कानूनों को 9वें शेडयूल में न लाकर देश के काश्तकारों को जो जमीन मिलने वाली थी, उनके साथ कुठाराघात किया है।

कांग्रेस ने तो सदैव ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे आम काश्तकारों का भला हुआ है आप देखिये—टेनेन्सी राइट कांग्रेस ने दिया जिससे करोड़ों काश्तकारों का फायदा हुआ, उसके जरिये हमारे काश्तकार जमीन के मालिक बने। इस तरह के सभी कानून कांग्रेस सरकार द्वारा बनाये गये हैं इसलिये सबसे बड़ा प्रोग्रेसिव कदम यदि किसी ने उठाया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। आपने देखा होगा कांग्रेस ने सीलिंग का कानून, लैंड रिफार्म की जो भी व्यवस्थायें हैं, बनाई हैं। सीलिंग के कानून के लिए हमारे प्लानिंग कमीशन की तरफ से हिदायत दी गई थी कि इतने एकड़ से ज्यादा

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

जिसके पास जमीन हो उसको सीलिंग के तेहत लेकर भूमिहीनों में बांटा जाय। इस कानून के अन्तर्गत जितना भी काम देश में हुआ है वह कांग्रेस सरकार ने किया है। इसलिए कांग्रेस पर इस तरह का इल्जाम लगाना एक अन्यायपूर्ण बात है।

मैं वैस्ट बंगाल के बारे में भी कहना चाहता हूं—ये लोग बार-बार कहते हैं कि जो कानून हमने पास किये उनके लिये प्रेसीडेन्ट से असेन्ट नहीं मिली। आपने पहला कानून 1978 में बनाया, जब आपकी ही सरकार यहां भारत सरकार के अन्तर्गत थी, जिसका आप समर्थन कर रहे थे। अगर उस समय असेन्ट नहीं दी गई तो वह सरकार दोषी है, जिसके कारण असेंट नहीं मिली। इसलिए आप लोग ज्यादा दोषी हैं। अपना दोष कांग्रेस पर थोपना चाहते हैं। वैस्ट बंगाल में क्या हुआ है। कितना अन्याय लोगों के साथ हो रहा है (व्यवधान)

जिन लोगों के पास सीलिंग कानून से भी कम जमीन थी, उनसे जमीनें लेकर अपने कार्यकर्ताओं को बांटी गई है। इस तरह का अन्याय बंद किया जाना चाहिए।

कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में जितनी भी फाजिल जमीन है, उसको लेकर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। यह मैं मानता हूं कि कानून में कुछ लू-फोल्स हैं। जिसकी वजह से राजे-महाराजे, जागीरदार लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया हुआ है। उनकी जमीन ली जानी चाहिए। बहुत से मुकदमे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। उन मुकदमों को वहां से विथड्रा करके सरकार स्वयं उनकी पैरवी करे। जितनी जमीन राजा-महाराजाओं के पास है, जागीरदारों के पास है, ट्रस्ट प्रापर्टी है, उसको लेकर गरीब लोगों में वितरित किया जाना चाहिए।

एक बात और कहना चाहता हूं। जितनी भी जमीन गरीब लोगों को अलाट की जाती है, उसका पैसा उन लोगों से लिया जाता है और जागीरदार को मुआवजा दिया जाता है। इस व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है। जब उनके पास फालतू जमीन है और कानून के तहत ली जा रही है तो मुआवजा नहीं मिलनी चाहिए। वह जमीन गरीब लोगों को मुफ्त में बांटनी चाहिए। इससे उनकी हालत सुधरेगी। इस प्रकार का परिवर्तन सीलिंग कानून में लाना आवश्यक है।

परिवार की डेफीनेशन का भी कई लोग नाजायज लाभ उठा रहे हैं। इसमें एडल्ट मेंबर को अलग-अलग परिवार मान कर अलग-अलग भूमि उनके नाम करने की व्यवस्था की गई है। इसकी वजह से सीलिंग कानून का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। हमारे राजस्थान में 22 राजा हैं। इसके अलावा हजारों जागीरदार लोग हैं। उन्होंने गलत नामों से जमीनें अलाट करा रखी हैं। उनके पास बड़े पैमाने पर जमीनें पड़ी हुई हैं। इन जमीनों को लिया जाना चाहिए। अगर कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो इसके लिए भारत सरकार को स्टेट गवर्नमेंट को गाइड लाइंस दी जानी चाहिए, ताकि फालतू पड़ी जमीनों को गरीब आदमियों में बांटा जा सके। इसकी नितांत आवश्यकता है। इसलिए जो ब्लेम कांग्रेस के प्रति लगाया गया है, वह निश्चित तरीके से अन्याय पूर्ण है। अगर किसी ने भूमि सुधार को जन्म दिया है, पनपाने की कोशिश की है तो वह है कांग्रेस। और कोई दूसरी

पार्टी नहीं है । इसलिए यह कहना ठीक नहीं है । हो सकता है कि कुछ बड़े-बड़े लोग यहां बैठे हुए हों । उनके पास काफी जमीनें हैं । उनको मुओ-मोटो जमीनें छोड़नी चाहिए और सीलिंग में देनी चाहिए । विनोबा भावे और अन्य बहुत से लोगों ने कहा है कि जिनके पास जरूरत से ज्यादा जमीन हैं और जिनका वह नाजायज फायदा उठाते हैं, उनको जमीन सरेन्डर कर देनी चाहिए ताकि ग्राम लोगों को उपलब्ध हो सके..... (व्यवधान) बंगाल में नाम के तो कम्युनिस्ट हैं लेकिन उनके पास काफी जमीनें हैं । वैस्ट बंगाल की सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए । हमारे बहुत से साथियों ने बिहार और यू० पी० की बात कही है । मैं खासतौर पर पंजाब के बारे में कहना चाहूंगा । पंजाब में जितने भी अकाली दल के नेता हैं, उनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं । प्रकाश सिंह बादल की जमीन हमारे यहां राजस्थान में है । बादल गांव पूरा का पूरा उन्हीं का है और हजारों बीघा जमीन उनके पास है । ऐसे लोगों से निश्चित तरीके से जमीन ली जानी चाहिए। अगर ऐसे लोगों से जमीन ली जायेगी तो भूमिहीन लोगों की पूर्ति कर सकते हैं । पांच करोड़ एकड़ जमीन हमारे यहां है । इसका सर्वे किया जाए । इसके संबंध में पूरी व्यवस्था कीजिए ताकि लोगों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बना सकें । यह कानून बहुत अच्छा है । लेकिन इसमें जो खामियां हैं, उनको दूर किया जाए । इंदिरा जी को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि उनकी वजह से ही लोग आर्थिक तौर पर सम्पन्न बन रहे हैं । बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत करोड़ों लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का कार्यक्रम है । राजा-महाराजाओं से जमीन लेकर और बैंकों से पैसा दिलवाने का बहुत बड़ा काम अपने हाथ में लिया है । सोशलिस्ट कंट्रीज की बात मैं नहीं करता । प्रजातांत्रिक तरीके से इस प्रकार का कदम अगर किसी देश ने उठाया है तो वह हिन्दुस्तान ने इंदिरा जी के नेतृत्व में उठाया हैं। देश के करोड़ों लोगों को सम्पन्न बनाने का कार्यक्रम है । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

SHRI BRAJAMOHAN MOHANTY (Puri) : Madam Chair-person, I welcome and support the Bill. But my apprehension is will it give protection to the statutes incorporated in the Ninth Schedule ? The law of the land as it has been interpreted by the Supreme Court is that it will not give protection and all the statutes incorporated in the Ninth Schedule will be scrutinised and tested on the basis of Kesavananda Bharti case

I am afraid that what this measure is trying to achieve will not be achieved. My submission is that all these statutes will not be immune from judicial scrutiny. If it violates the fundamental Rights either Article 19 or 21 or 31 or whatever it way be, it cannot be protected from judicial scrutiny. Therefore, the Government should have the total strategy to give immunity to the statutes incorporated in the Ninth Schedule.

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : माननीय सभापति महोदया, इस समय सदन में जो विधेयक विचार के लिए प्रस्तुत है, मैं उस का समर्थन करता हूं । हमारे दल की नेता और हमारे राष्ट्र की प्रधान मंत्री ने छठी पंचवर्षीय योजना में देश को यह आश्वासन दिया था कि हम सन् 1985 तक समस्त भूमि सुधार विधेयकों को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करेंगे । इस सदन को प्रसन्नता होनी चाहिए कि छठी पंच वर्षीय योजना में राष्ट्र के सामने जो आश्वासन दिया गया था, हमारी सरकार

[श्री राम सिंह यादव]
और हमारी नेता ने आज उसको पूरा करने के लिए सदन के सामने यह विधेयक उपस्थित किया है।

जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे यहां कई पुराने ऐसे अधिनियम थे जो कि विभिन्न सरकारों ने 1978 या 1979 में पारित किए थे। लेकिन उन दिनों यहां केन्द्र में जनता पार्टी या लोकदल की सरकार सत्ता में थी और वह उन अधिनियमों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं करना चाहती थी, इसी कारण उसने शामिल नहीं किए। इनमें आप देखेंगे कि क्रम संख्या 199 पर दी वैस्ट बंगाल रेस्टोरेशन आफ एलीनेटिड लैंड (अमेंडमेंट) एक्ट 1978 (वैस्ट बंगाल एक्ट 14 आफ 1978) हैं, इसके अलावा दो वेस्ट बंगाल रेस्टोरेशन ऑफ एलीनेटिड लैंड (अमैंडमैंट) एक्ट, 1980 (वैस्ट बंगाल एक्ट 56 आफ 1980) भी है, जो कि क्रमशः 1978 और 1980 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पारित किए गए। इसी तरह दी तमिलनाडु लैंड रिफार्म्स (फिक्सेशन आफ सीलिंग ऑन लैंड) अमैंडमैंट एक्ट, 1978 है और हरियाणा सीलिंग आन लैंड होल्डिंग्स (अमैंडमैंट) एक्ट, 1977 है जो हमारी सरकार ने पास किया था। परन्तु इन सारे अधिनियमों को जनता और लोकदल सरकार संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं करना चाहती थी। आज हमें खुशी है कि जिस प्रोग्रेसिव लैजिस्लेशन की आप दुहाई देते हैं, जिसके लिए आप कहते हैं कि हमारे यहां लैंड रिफार्म्स कम हुआ है, लेकिन ये उदाहरण ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि आपकी सरकार केन्द्र में तीन साल तक रही और आपने जानबूझ कर इन अधिनियमों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। इसलिए कि आपका भूमि सुधार में विश्वास नहीं है, आपका प्रोग्रेसिव लैजिस्लेशन में विश्वास नहीं है। वैसे आप भाषणों में इस की बहुत चर्चा करते है, लेकिन आपकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। आज यह साफ हो गया है कि हमारी कांग्रेस पार्टी का इसमें विश्वास है, हमारी नेता और हमारे दल का विश्वास है कि इन तमाम विधेयकों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन इन विधेयकों से जो इम्यूनिटी मिलती है, वह अभी आंशिक है, पार्शयल है। मैं चाहूंगा कि हमारे मंत्री जी दोबारा इस प्रश्न पर विचार करें कि जिन एक्टस को, जिन अधिनियमों को हम अनुसूची में शामिल करने जा रहे हैं, उनको उसी शक्ल में इम्यूनिटी मिलेगी। यदि बाद में उनमें अमैंडमैंट किया जाता है तो उनको वह ईम्यूनिटी नहीं मिल पायेगी। क्या आप इस तरह का सदन में कोई अमैंडमैंट प्रस्तुत करेंगे ताकि पार्शयल इम्यूनिटी न मिलकर सम्पूर्ण तौर पर इम्यूनिटी का प्रावधान हो। उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे विरोध पक्ष में बैठने वाले लोगों को इसमें दिलचस्पी नहीं है, इनको इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि इनकी नियत नहीं है। लेकिन हमें सोचने की जरूरत है कि हम पूरी तरह से इम्यूनिटी दें।

सभापति जी, मैं अपने स्टेट की बात करना चाहता हूं। मेरे राज्य राजस्थान में जब 1952 में भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ, लैंड रिफार्म्स एक्ट लागू हुआ उस समय के बहुत से ऐसे मामले हैं जो कि अभी तक विभिन्न न्यायालयों में, उच्चतम न्याया-

लग्रों में लंबित पड़े हुए हैं और आज तक उनका कोई फैसला नहीं हुआ है। गरीब आदमी को जो जमीन मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल सकी, और उस समय जो बड़े सामंत थे उन्होंने अपने कुत्तों के नाम पर और ऐसे लोगों के नाम पर जो जीवित नहीं थे, जमीनें नाम करवा लीं और उसका अभी तक नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हमको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिनको जमीन अलाट करें उनको अनावश्यक रूप से जमींदार लोग मुकदमेबाजी में न फंसाये।

1975 में कांग्रेस सरकार ने विभिन्न राज्यों में फालतू जमीन गरीब लोगों को अलाट की लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आयी तो सब को मालूम है क्या हुआ ? हमारे राजस्थान में और मेरे जिले में बहुत सी जमीनें जो गरीबों को दी गई थी लाठी के जोर से लोगों ने गरीबों से छीन लीं और उन पर वापस कब्जा कर लिया। आज 1980 के बाद हम फिर उस प्रोसेस में आ रहे हैं, जिनको पहले दखल दे दिया था उनको फिर दखल दे रहे हैं। इस तरह की कानून की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ-साथ उन राज्यों में भी इस कानून को लागू किया जाय जहां कांग्रेस सरकार नहीं है।

आज आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है ? गलती से जो वहां मुख्य मंत्री बन गये थे श्री एन० टी० रामाराव, उन्होंने बड़े-बड़े जमींदारों को इस तरह का नाजायज फायदा दिया जिससे लोगों में असंतोष है। उन्होंने अपने प्रदेश में भूमि सुधार नहीं किया। आज वहां की जनता उनसे क्षुब्ध होकर रोष प्रकट करना चाहती है। मैं विरोधी दलों से कहना चाहता हूं कि आप-की दोस्ती ऐसे लोगों से है जिनके पास अधिक जमीन है, जैसे प्रकाश सिंह बादल और जिनके पास अधिक पैसा है, जैसे एन० टी० रामा राव। तो पहले आप अपनी नीयत साफ कीजिये।

मेरा निवेदन है कि नौवें शेड्यूल में इस कानून के अलावा और भी बहुत से अधिनियमों को शामिल करना चाहिए, जैसे मिनिमम वेजेज एक्ट, प्रोवीडेंट फंड पेमेंट ऐक्ट। होता क्या है कि मिल मालिक मजदूरों का प्रोवीडेंट फंड का पेमेंट नहीं करते हैं हालांकि आपने सजा का प्रावधान किया है लेकिन मिल मालिकों को नाम मात्र के लिए सजा मिलती है यानी टिल दी राइजिंग आफ दी कोर्ट। उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता हैं, और गरीब मजदूरों की प्रोवीडेंट फंड का पैसा नहीं मिलता है, मिनिमम वेजेज नहीं मिलती हैं। इसलिये ऐसे कानूनों को भी इस तरह का संरक्षण आप दें जिससे अदालतों में उनको चैलेंज न किया जा सके।

आज स्टेट लेजिस्लेचर के सामने यह बात है कि जो भी प्रोग्रेसिव लॉ हम बनाना चाहते हैं उनको अदालत में चैलेंज किया जाता है और वहां से स्टे आर्डर ले लेते हैं और जब तक स्टे आर्डर रहता है तब तक जमींदार का ऐलीनियेशन कर देते हैं। इस-की वजह से हम अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिये मेरी मांग है कि अगर भूमि सुधार करना है, गरीब आदमी को राहत देनी है तो ऐसे कानूनों को। इस तरह की इम्यूनिटी देनी चाहिये ताकि अदालतों में जाकर केवल फिलम्जी ग्राउंड्स पर उनको चैलेंज न किया जा सके। इस

[श्री राम सिंह यादव]
लिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

SHRI D. P. YADAV (Monghyr): Madam Chairman, I recall the speech of the late Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, when he distingiushed between the Fundamental Rights and the Directive Principles. While the First Amendment of the Constitution was adopted in this House in the year 1951, for amendment of article 15, Pandit Nehru very emphatically stated that he respects the law, he respects the judgments of the High Courts and the Supreme Court, but we have to distinguish between the Fundamental Rights and the Directive Principles; while the Fundamental Rights speek of the static elements, the Directive Principles talk of the dynamic movement. He said that if he had to choose between the Fundamental Rights and the Directive Principles, he wlll be with the dynamic Directive Principles. This was the philosophy which was given by the late Jawaharlal Nehru He felt the need for that philosophy for implementing the planning and development schemes of the country. With that object in view, several enactments were passed by this House for the betterment and amelioration of the poor and down-trodden people of this country. This is the philosophy and principle underlying this Bill and, therefore, I welcome it.

While welcoming the Bill, I am concerned with the fact that there are many hurdles in the way of development, which have to be plugged. There are 188 items in the Ninth Schedule. In spite of that, there are so many High Court judgments, there are so many injunctions. writs in the High Courts add the Supreme Court, seeking stoppage of execution of the development schemes,

In my area of Monghyr, which is prone to floods, lakhs and lakhs of people are victims of erosion. These refugees of erosion get out to seek shelter, but they cannot get it simply because of the fact that land is not available to them. When they try to take possession of any stable land, the land owner seeks the help of the court and puts an injunction over it. You can just imagine the fate of these people who have got no place to live. They are in a very miserable condition. This problem has to be tackled immediately. For that, this type of scheduling is very much necessary.

When we look at the execution of irrigation and power projects, there also we find that some vested interests put hurdle in the way of surrendering their land. They go to the court and get a stay order. This causes delay in the execution of the scheme and the cost escalates. This escalation is not small; sometimes it comes to 10 to 15 times. We have to ensure that due to these procedural wranglings the developmental schemes of the country do not suffer. We have to augment our irrigation and power schemes We are committed to it. For that also this amendment is necessary.

Coming to the necessities of the Scheduled Castes and Tribes, most of them have been issued *purchis* for rehabilitation purposes. Unfortunately, some of the land owners, whose lands are being acquired for this purpose, seek the shelter of the court. The court also, without considering the pros and cons of the problem, issues a stay order. Therefore, while the Government try to rehabilitate these people, the procedural wrangling becomes a burdle in the way. This has to be remedied. The cause of the Scheduled Castes and Tribes is very dear to the heart of our Prime Minister and it is her intense desire that these people should live a healthy and prosperous life. For that purpose also this Act will be cf immense value.

I may also suggest that the whole land map should be prepared by modern and scientific methods. The whole area should be surveyed on micro-level with the help of the INSAT. The Survey of India should be deployed for this scientific mapping of the plots and boundaries of the land, so that nobody is allowed to have more land than the prescribed ceiling. It has come to the knowledge that many

landowners have transferred their lands in fake and Benami names and are possession of a vast area of land. For the solution of this problem I suggest that computerisation should be adopted and the whole process should be planned scientifically.

With these words I support the Bill wholeheartedly.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): सभापति महोदय, मैं संविधान (48वां संशोधन) विधेयक का आम तौर से समर्थन करता हूं। इस विधेयक के जरिये 14 कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखने की व्यवस्था की जा रही है। उन कानूनों में 13 कानून तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक पर मेरा थोड़ा एतराज है और वह है बिहार का लैंड एक्वीजीशन एक्ट। अगर वह इसमें शामिल न किया जाता, तो अच्छा होता। जहां तक मेरी जानकारी है, उस कानून के जरिये किसानों के हितों पर चोट की गई है। अगर मंत्री महोदय बता सकें कि सचमुच में वह एक प्रगतिशील कानून है, तब तो मैं इस स्थिति में हो सकूंगा कि उसको भी इसमें रखने को सही माना जाए, लेकिन मुझे इस बारे में संदेह है।

कांग्रेस के एक माननीय सदस्य ने इस तरफ ध्यान दिलाया है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं हो रही है। लेकिन इसकी वजह से हम संपूर्ण विधेयक का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि 13 और कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करके उन्हें मुकदमेबाजी के पंजे से तुरन्त मुक्त रखने की व्यवस्था की जा रही है।

इस समय जो लैंड एक्वीजीशन बिल इस सदन में पेश है, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी जमीन का अर्जन करने के लिए जिस दिन नोटिफिकेशन होगा, उस दिन जो मार्केट रेट होगा, उसी के हिसाब से मुआवजा दिया जायगा। स्थिति यह है कि दो, चार या दस साल तक जमीन एक्वायर नहीं की जाती है और जब वह एक्वायर होती है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन के समय की कीमत के अनुसार मुआवजा दिया जाता है, जबकि इस बीच में मार्केट रेट बढ़ जाता है। इस संबंध में अमेंडमेंट लाया जा रहा। बिहार का भूमि अर्जन कानून करीब-करीब उसी तरह का है। इसलिए इस बारे में हमारा रिजर्वेशन है। मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि और भी जितने कानून हैं, एसे बंगाल के कानूनों पर तो राष्ट्रपति जी स्वीकृति ही नहीं देते, मोहर ही नहीं लगाते, इस तरह के और भी जितने कानून हैं, उनको स्वीकृति मिलनी चाहिए। छठी पंच वर्षीय योजना के आश्वासन के मुताबिक आपने इन कानूनों को लाने की कोशिश की है। टाटा की जमींदारी जो है, आप जानते है कि टाटा हिन्दुस्तान का पूंजीपति नम्बर दो है, बिरला शायद नम्बर एक पर है, टाटा नगर, टाटा की जमींदारी समझा जाता है, इसके बारे में संविद की जो सरकार थी 1967 में उसी समय से यह मांग की जा रही है और यह मांग उसने भी की थी कि टाटा की जमींदारी ले ली जाय। उस समय बिहार सरकार के राजस्व मंत्री श्री इन्द्र दीप सिंह जी थे जो आज राज्य सभा के मेम्बर हैं, वह यह कानून लाए थे लेकिन आज तक यह मसला हल नहीं हो सका।..(व्यवधान)... नहीं नहीं, वह नहीं लाए। वह जो लाए हैं, आप भी जानते हैं पूरी पूरी बात उसमें नहीं है।

[श्री रामावतार शास्त्री]

हम चाहते हैं कि जमींदारी पूरी की पूरी समाप्त की जाय और यह आप के कब्जे में आ जानी चाहिए, यह हमारी मांग है। आपने अभी तक हिम्मत नहीं की टाटा जैसे पूंजीपति को पकड़ने की। ऐसे ही जमारे यहां बहुत बड़े-बड़े जमीदार हैं जिनके बारे में चर्चा हो चुकी है। भूतपूर्व मुख्य मंत्री जो चन्द्र शेखर जी के पहले थे, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें कहा था कि 259 बड़े-बड़े जमींदार और भूमिपति ऐसे हैं जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है और दो तो मंत्रिमंडल सदस्य हैं। एक मंत्रिमंडल के सदस्य के पास 18 हजार एकड़ है और दूसरे के पास साढ़े तीन हजार एकड़ है। इस तरह की स्थिति जब रहेगी, शासन में जमीदारों के आदमी घुसे रहेंगे तो जाहिर बात है कि भूमि सुधार कानून जितने भी आप लाएंगे उसका भीतर-घात होगा। ईमानदारी के साथ उसका कार्यान्वयन नहीं होगा और जमीन की जो भूख है भूमिहीनों में और खेत मजदूरों में उस की पूर्ति नहीं हो पाएगी।

अभी बिहार के किसानों ने एक आंदोलन चलाया, उसकी भी चर्चा हो चुकी है 15 जुलाई से 15 अगस्त तक भूमि-मुक्ति आंदोलन। हजारों एकड़ जमीन पर लोगों ने लाल झंडे गाड़े। पुलिस ने गोलियां चलाई, लाठी चलाई, लोगों को जेल में ले गये, कुछ लोग अभी भी जेलों में रखे गए हैं। इस तरह का आंदोलन वहां है। किसानों की भूख जमीन की ओर जगी है। उनको विश्वास होने लग गया है कि सरकारी कानूनों से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर सचमुच में लागू करते तो मिल भी सकता था लेकिन वह समझते हैं कि नहीं, अब आंदोलन का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने आंदोलन का सहारा लिया हैं। बिहार के अन्दर 3.5 प्रतिशत ही ऐसे लोग हैं, ऐसे जमींदार हैं जिनके हाथ में अधिकांश जमीन है। अधिकांश जमीन उनके हाथ में सिमटी पड़ी है। कानून अपनी जगह पर बना पड़ा हुआ है लेकिन उसकी पूर्ति नहीं होती। 20 सूत्री कार्यक्रम में यह एक मुद्दा जरूर उठाया जाता है लेकिन अभी जमीन का बंटवारा होता है या नहीं, संदेह की बात है। एक जिले की चर्चा हमारे माननीय सदस्य विजय कुमार यादव जी ने की, राजधानी के जिले की चर्चा मैं करना चाहता हू क्योकि मैं समिति का सदस्य हूं, मुझे मालूम है, चार साल से एक ही फिगर दी जाती है कि इतनी जमीन बंटी। बाकी कहां गई? तो यह स्थिति है अब किसान ही आंदोलन करके लेंगे और उनका नारा है कि जो जोतेगा वह बोयेगा, जो बोयेगा वह काटेगा। इस नारे पर किसान संगठित हो रहे हैं। आपके वादे पर ही वह चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे। लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर आपकी सचमुच में राजनैतिक इच्छा शक्ति मजबूत है, आप चाहते हैं कि भूमि सुधार कानून बने और जो बने हुए हैं वह लागू हों, किसानों को अतिरिक्त जमीन जमींदारों से और भूमिपतियों से लेकर दी जाय, जो सीलिंग जमीन की हदबंदी का कानून है उसके अन्तर्गत जमीन उनसे लेकर उनके अन्दर बांटे तो आपको इधर मजबूती से कदम उठाना होगा। अगर आप नहीं उठाइएगा तब भी किसान संगठित हो रहे है, जगह-जगह आंदोलन चल रहे हैं, और यह चलते रहेंगे और खुद संगठन के अन्दर, जैसा मैंने बताया है पूरे देश में जमींदार कुण्डली मार कर बैठ गए हैं जोकि नहीं चाहते हैं इस तरह का कानून बन भी जाता है तो वे भीतरघात

करते हैं, वह अमल में न आ सके इसकी कोशिश करते है। जैसा मैंने शुरू में ही कहा है, मैं मोटे रूप में इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन मेरी एक शंका है जिसका समाधान यदि मंत्री जी कर सकें तो अच्छा होगा। यह जो बिहार भूमि अर्जन कानून है जिसको आप नवीं सूची में शामिल कर रहे हैं उसमें है क्या ? मैंने तो बता दिया है कि उसमें किसान विरोधी बात है इसलिए उसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। किसानो को आप मुआवजा कबसे देंगे—सबसे बड़ी शंका तो मेरी यही हैं। ऐसा नहीं है कि आप कारखाना बनाएं तो उसके लिए आपको जमीन न मिले, जमीन जरूर मिले लेकिन जिस दिन जिला मजिस्ट्रेट जमीन पर कब्जा करता है, अपने हाथ में लेता है उस दिन के आधार पर मुआवजा मिलना चाहिए। (व्यवधान) जहां तक मैं समझता हूं नोटिफिकेशन के दिन से देने की बात है। अगर ऐसा नहीं है तो इसकी आप सफाई कर दें, मैं 13 के साथ-साथ 14 का भी समर्थन करूंगा। अगर आपको मालूम हो तो आप जरूर बतला दीजिए। वैसे तो मैं इस बिल का समर्थन ही कर रहा हूं लेकिन मेरी जो शंका है वह मैंने जाहिर कर दी है। आज कुछ किसान भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले जाते है इसलिए कि आप उनको मुआवजा कम देते हैं। उन को अधिकार मिलना चाहिए, उनका यह अधिकार मिलना चाहिए, उनका यह अधिकार छीनना नहीं चाहिए। बड़े जमींदारों के अधिकारों को आप जरूर कटेल कर सकते हैं। इसी से आप मेरी मंशा समझ गए होंगे।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : For me God had convertible terms. If anybody told me that God was a God of untruth or God was a God of torture, I will decline to worship him. Therefore, in politics also we should have to establish that the king is in heaven.

बात यह है कि सन 1952 से ही मैं इस के खिलाफ लड़ा रहा हूं कि गरीबों को जमीन मिलनी चाहिए। 1954-55 में जब मैं मिनिस्टर था, तब पं० जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि जिसके हाथ में खुर्पा है उस के हाथ में जमीन जायगी, लेकिन क्या उस के पास अभी तक जमीन गई है ? आप जो यह कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? आपको ही इम्प्लीमेन्टेशन करना था, आपने क्यों नहीं किया ? फिर भी आप कहते है—बड़े अच्छे-अच्छे काम किये है, इसलिये मैं कहता हूं पहले अपने आप को ठीक करो, दूसरे खुद-बखुद ठीक हो जायेंगे। लेकिन मैं पूछता हूं कि जिसको जमीन देनी है, जिसके पास जमीन है वह उसको दिया जाय। महात्मा गांधी ने कहा था—ट्रुथ इज गाड। अपने आप को ठीक करो। अपने आपको बड़ा किसानों का खैरख्वाह समझते हो, लेकिन क्या किया है, क्या नतीजा निकला है ? ये कहते है—हम बड़े बहादुर हैं, आपने क्या बहादुरी दिखाई है। बीच में जो चोर हैं वे कुछ नहीं करने देते हैं। हर बड़े काम में उनका हिस्सा होता है। हम 100 आदमी भी इकट्ठे नहीं होते हैं। इसमें किसका कुसूर है ? जिसको जमीन देनी है, वह क्यों देगा? इस तरह से कोई चीज नहीं मिलती है। No man can get his right by request. Rights are wrested from unwilling hands. इसमें गरीबो का कोई कुसूर नहीं है। अमीर देना नहीं चाहता है, अपने पास रखना चाहता है और जोर से रखना चाहता है। 100 आदमी इकट्ठे होकर उनका मुकाबला करो तब जमीन मिलेगी।

[श्री सुन्दर सिंह]

इसलिये मैं समझता हूं कि सीधी बात करनी चाहिए, लम्बी-चौड़ी तकरीर करने का कोई फायदा नहीं है। जो नहीं किया है—इसमें हमारा कुसूर है, दूसरे किसी का कुसूर नहीं है। हमको अपने आप को ठीक करना चाहिये। मैं इससे ज्यादा बोलना नहीं चाहता।

SHRI SUDHIR GIRI (Contai) : Madam-Chairman, I had no intention to speak on this Bill. This is a simple legislation to include in the 9th Schedule of the Constitution some pieces of legislation passed by the State Governments.

Madam, the West Bengal Government has sent a legislation passed by the West Bengal Assembly to the Central Government for the assent of the President. Shri Vyas and another hon. Member from Rajasthan made some remarks in reply to a comment of Shri Amal Datta. I want frontal attack but I hate hypocrisy. They have said that it is the Congress Party which has brought about all the progressive legislation. They have also pointed out why did the Janata Government or the Lok Dal Government not approve the West Bengal legislation passed in 1979 when they were in power ? I would like to ask, what about the legislation passed in 1981 ? It has been passed by the West Bengal Legislative Assembly. It has been sent to the Central Government for the assent of the President long back. But it has not yet been assented to. There is reason for it. I know, there are some landlords in West Bengal whose interests would be affected if the legislation passed by the West Bengal Assembly is assented to by the President. The present legislation as passed by the West Bengal Assembly gives no exemption for the land comprised of garden or fishery for the purpose of land ceiling of 17 1/2 acres. If this Bill is assented to, these landlords will lose their property and their land. Therefore, I may ask one simple question why the Bill has not yet been assented to by the President. Is it not a fact that the Congress Members in West Bengal would be affected to a great extent if that Bill assented to by the President and given effect to ? I hope the hon. Minister will reply to my question.

श्री राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सभापति महोदया, यह जो विधेयक जमीन को नाइंथ शेड्यूल में शरीक करने के लिये यहां पर लाया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी है। इसके अभाव में जमीनें गरीबों को नहीं मिल पाएगी। लोगों के पास जो जमीन पड़ी हुई है वह निकल नहीं पाएगी। जब तक किसान का जमीन पर जाती कब्जा नहीं होगा तब तक वह उतनी लगन से उत्पादन नहीं बढ़ा सकेगा। इस लिये उत्पादन बढ़ाने के लिए और देश को आगे ले जाने के लिए भी उसको जाती कब्जा दिया जाना आवश्यक है। यह बहुत समय से चला आ रहा है। आंध्र प्रदेश में ब्रह्मानंद रेड्डी और संजीवा रेड्डी जो मुख्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में बड़ा काम किया है। आंध्र प्रदेश में एक जमींदार के पास एक लाख 25 हजार एकड़ जमीन थी। उससे इस जमीन को निकलवाया और आज उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन रह गई है। लेकिन आज यहां पर जो सरकार है वह बड़े-बड़े लोगों को जमीनें देने की कोशिश कर रही है न सिर्फ उनको खेती की जमीन दी जा रही है बल्कि शहर में भी उनको बड़ी-बड़ी जमीनें दी जा रही हैं। उनके पास पहले भी काफी जमीनें हैं। इनका बंटवारा होना चाहिए। जमीनों को बांटने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स की होती है।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : On a point of order, Madam. How long will this go on ? What is the time fixed for the Bill ? It is still continuing. How are you allowing all the

members to speak like this? Is he the last speaker? *(Interruption)*

AN HON. MEMBER: He has no right to ask this question.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: I have every right to ask. The time is alloted for every Bill by the Business Advisory Committee. You are making a mockery of everything, allowing this to go on and waiting for the ruling Party to muster their strength... *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN. The time was allotted. But I have extended the time. So, they are speaking.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: But I was not allowed to speak on the previous Bill because the Business Advisory Committee had fixed a specific time for it and I had to sit down. But now you are allowing the rulling Party members to go on speaking like this.

MR. CHAIRMAN: It is not that the time allotted is always extended. But in this case I have extended the time.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: You did not tell the Opposition members who spoke first that they can go on speaking When the time is allotted, the time is divided amongst the parties. You are allowing the ruiling party members to continue like that. *(Interruptions)* I also want that this Constitution Amendment Bill should be passed. I want that the ruling party should be prepared for it. But they failed on the previous occasion... *(Interruptions.)*

SHRI BUTA SINGH: It has happened earlier also that the time allotted is 1 hour and the time taken is 6 hours.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: Before starting, you say you will extend. Then you can go ahead. You say it.

MR. CHAIRMAN: As we feel, we extend time. It is a not unusual.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: It is something unusual.

MR. CHAIRMAN: It is not unusual. Please sit.

SHRI NARAYAN CHOUBEY: The ruling party is demanding extention. It is unusual.

MR. CHAIRMAN: It is not unusual. It has happened always in this House. When one hour is allotted, you have discussed for four hours.

Continue your speech, Mr. Reddy.

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : सभापति महोदय, मेरी यह मांग है कि जिन-जिन राज्यों में भूमि सुधार का काम हुआ है, उन की गिनती करानी चाहिए और उसकी पूरी तफसीलात पार्लियामेंट के सामने आनी चाहिए। इससे मालूम हो जायगा कि कौन सा स्टेट दोषी है? यह सुना जाता है कि वेस्ट बंगाल में भी बराबर जमीन नहीं बांटी गई है। वहां के लोग कहते हैं कि यह तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है। वहां के तफसीलात मालूम करने पर पता चल जायेगा कि असल में लैंड रिफार्म नहीं हुआ है। पहले केरल में भी नहीं हुआ था, अब धीरे-धीरे हो रहा है। जिस प्रकार आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ है, उस तरह का काम किसी और राज्य में नहीं हुआ। जिस-जिस राज्य में काम ठीक तरह से नहीं हुआ है, मैं चाहता हूं कि उस स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। अगर वह स्टेट गवर्नमेंट सही रास्ते पर नहीं आती है तो उसको डिस-मिस करना चाहिए। जो, लैंड रिफार्म्स के खिलाफ बात करते हैं या सेन्ट्रल गवर्नमेंट के

[श्री एम० राम गोपाल रेड्डी]

कानून को अमल में नहीं लाते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। अब यह कहा जा रहा है कि यह स्टेट सबजेक्ट है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट को इसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। स्टेट गवर्नमैंट को ज्यादा से ज्यादा पावर्स दी जा रही हैं। सेन्ट्रल के पास पूरी पावर्स होनी चाहिए ताकि जो गलत काम करते हैं, उनको सही रास्ते पर लाया जा सके। हमारा फूड प्रोडक्शन 153 मिलियन टन हो गया है। लेकिन इसको डबल करने की जरूरत है। 70 करोड़ आदमियों के लिए यह पूरा नहीं होता है। ज्यादा प्रोडक्शन होने से परचेजिंग पावर भी बढ़ जाती है और लोगों को खाने को मिल जाता है। यह जो फूड प्रोडक्शन हुआ है, इससे गवर्नमेंट को सेटीसफाई नहीं होना चाहिए बल्कि इस फीगर को और डबल करना चाहिये। किसान को जब यह मालूम हो जायगा कि जमीन उसकी है तो वह और ज्यादा देखभाल करेगा, फर्टिलिटी और इल्ड ज्यादा बढ़ायेगा। इस के साथ-साथ गन्ने का प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिये। आयल सीड्स का भी प्रोडक्शन बढ़ना चाहिये क्योंकि बाहर से हमको आयल मंगाना पड़ता है। हर स्टेट को एक कोटा मुकर्रर कर देना चाहिए। अगर वह स्टेट गवर्नमेंट उतना नहीं करती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिये। स्टेट गवर्नमेंट के पास पानी है और दूसरे साधन भी मुहैया होते हैं तब भी वह प्रोडक्शन नहीं बढ़ाती तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के रिजर्व में से अनाज बार-बार देना पड़ेगा। इसलिए इस दिशा में कुछ सोचने की आवश्यकता है।

19.00 hrs.

फटाफट काम नहीं कर रहे हैं और उसके कारण हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। इन सब कारणों से हमारा प्रोडक्शन बहुत कम हुआ ...(व्यवधान)... इसलिए जब जमीन किसान की अपनी हो जाएगी तो वह उस पर अधिक लगन के साथ काम करेगा, मेहनत करेगा, और इस कारण उस की पैदावार बहुत अधिक होगी और हमारा देश खुशहाल होगा, प्रोडक्शन के मामले में आगे बढ़ेगा। इसलिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट को चाहिये कि वह अपने सुपरवीजन को ठीक करे। क्योंकि सैन्ट्रल गवर्नमैंट के पास इतने साधन नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट में पास एक निगरानी सैल होना चाहिए जो हर स्टेट में जाकर निगरानी का काम करे कि वहां क्या हो रहा है। क्यों कि हमेशा सैन्ट्रल गवर्नमैट से पैसा मांगा जाता है, अनाज मांगा जाता है, फर्टीलाइजर मांगा जाता है और दूसरी डिमांड की जाती है। इस वास्ते ऐसा प्रबंध होना जरूरी है...(व्यवधान)... वैसे मुझे वैस्ट बंगाल के बारे में बहुत कुछ कहना है, अभी तो मैं बहुत कम बोला हूं। आप अपने को बहुत एडवांस समझते हैं न, यदि आप फीगर्स देखें तो वहां प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है। (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to reassemble tomorrow at 11.00 a.m.

19.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 23, 1984/Bhadra 1, 1906 (Saka)

Printed at : Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, New Delhi-110002.